



LiFE
Lifestyle for
Environment



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

उत्तराव

ग्राम पंचायत - पनापुर कलां

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत - पनापुर कलां

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (DoE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री गौरांग राठी, आईएएस, जिलाधिकारी, उन्नाव
श्री प्रेम प्रकाश मीणा, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शीराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री कृति लूथरा, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री शिविका सोलंकी

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

पनापुर कलां, ग्राम पंचायत

श्री गुड्डू राठौड़, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

विकास भारती

श्री गिरीश पांडे, श्री इन्द्र सेन सिंह, श्री राजेश कुमार शर्मा, श्री उपेन्द्र सिंह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री अमन कुमार, श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



जिलाधिकारी
जनपद उन्नाव,



संदेश

यह सर्वविदित है कि आज जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण विश्व के लिये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है और भविष्य में यह और जटिल होगा, यदि समय से इस प्रश्न का चिरस्थायी समाधान न ढूँढा गया।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर Sustainable development goals की अवधारणा जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत जोकि प्रथम नियोजन व प्रशासनिक इकाई हो, वह उपर्युक्त स्तर है कार्ययोजना बनाने का न उसे क्रियान्वित करने का।

Climate smart कार्ययोजना का निर्माण इस कड़ी में अत्यन्त महत्वपूर्ण व मूलभूत कदम है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मार्गदर्शन में वसुधा का नई दिल्ली तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप(जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर, उ0प्र0 तथा विकास भारती संस्था, उ0प्र0 द्वारा यह कार्ययोजना अत्यन्त सुलभ तरीके से बनाई गई ऐसी गाइडबुक व प्लेबुक है जिसका अनुकरण व अनुसरण अत्यन्त आसान है। इस final product के लिये उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की जाती है।

निकट भविष्य में field level cutting edge स्टाफ को प्रशिक्षित कर इसी प्रकार की कार्ययोजना सभी ग्राम पंचायतों में बनवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ताकि इस अत्यन्त उपयोगी पहल को उसके सार्थक मुकाम तक पहुंचाया जा सके।

धन्यवाद।


(गोबिंद राठी)

प्रेम प्रकाश मीणा

आई.ए.एस.



कार्यालय

मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।

फोन नं. 0515-2822066 (का0)

ई-मेल-drda-unn@nic.in

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या: 726

दिनांक 19-7-24

सन्देश

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली तथा विकास भारती संस्था, उ0प्र0 के समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी सिद्ध होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है, जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल क्रियान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

भवनिष्ठ,
(प्रेम प्रकाश मीणा)

गुड्डू राठौर प्रधान

ग्राम पं. पनापुर कलां

वि.ख. मियाँगंज, उन्नाव



**निवास-
अहमदपुर पो.आसीवन**

मियाँगंज, उन्नाव

मो.9936297194

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत-पनापुर कलां, विकास खण्ड-मियाँगंज, जनपद उन्नाव की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुये रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुये सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना, जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवारयमेंट एक्शन ग्रुप (जी०ई०ए०जी०) गोरखपुर तथा विकास भारती संस्था, उ०प्र० का तथा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा, अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली का भी आभारी हूँ, जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद।

गुड्डू राठौर

(प्रधान)

ग्राम पंचायत पनापुरकलां

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल	4
	▪ पनापुर कलां ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	7
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ पनापुर कलां में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित संस्तुतियाँ	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत कृषि	19
	3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	25
	4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	31
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	35
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	45
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	49
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	53
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	59
8	आगे की राह	65
9	अनुलग्नक	66

चित्र

चित्र 1: पनापुर कलां ग्राम पंचायत, उन्नाव ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: पनापुर कलां में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2021	6
चित्र 3: पनापुर कलां में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2021	6
चित्र 4: पनापुर कलां में घरेलू स्तर पर आय के स्रोत	6
चित्र 5: पनापुर कलां में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	7
चित्र 6: पनापुर कलां में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7: पनापुर कलां में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8: पनापुर कलां में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	7
चित्र 9: पनापुर कलां में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10: 2022 में पनापुर कलां में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11: 2022 में पनापुर कलां के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले की पनापुर कलां ग्राम पंचायत मध्य मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। पनापुर कलां की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत में लचीलापन लाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने और साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। पनापुर कलां के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे पनापुर कलां ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

इस कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केंद्रित चर्चाओं, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए पनापुर कलां ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और पनापुर कलां ग्राम पंचायत के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में सहयता मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान यह बताया गया है

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ों को एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- **ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस रूपरेखा में पनापुर कलां की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं शामिल हैं।
- **प्रमुख मुद्दों की पहचान:** सर्वेक्षण प्रश्नावली और एचआरवीसीए में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- **कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान:** पनापुर कलां में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- **प्रस्तावित गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ:** चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर पनापुर कलां के लिए गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन संस्तुतियों में मध्य मैदानी क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, पनापुर कलां की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं।

कि इस ग्राम पंचायत में दो राजस्व गांव और 584 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 2,973² है। पशुपालन और कृषि ग्राम पंचायत की मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। किये गए एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि पनापुर कलां ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~2,084³ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e) है।

ग्राम पंचायत पनापुर कलां में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जलजमाव को कम करने के लिए जल निकासी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और कुशल अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- परिवहन क्षेत्र और आवासीय खाना पकाने में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना।
- वृक्षारोपण और हरित आवरण के बेहतर रखरखाव के माध्यम से हरित स्थानों के प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ाना।
- सौर छत स्थापना, सौर पंप, ऊर्जा कुशल पंप, ठंडी छतों आदि के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना।

कमजोर क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत और उन्नत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

पनापुर कलां के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत पनापुर कलां की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा पनापुर कलां जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- क. जलवायु परिपेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास प्रयासों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- ख. जीपी डीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को पनापुर कलां की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम की गई कुल उत्सर्जन प्रति वर्ष 2,993 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) से अधिक होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1,45,500 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹29 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग शामिल है। इसमें से, आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹10 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

2 जनगणना 2011 आंकड़े: कुल जनसंख्या- 1,130; पुरुष-590; महिला- 540


3 इसमें ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना









क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



पनापुर कलां

पनापुर कलां ग्राम पंचायत एक नज़र में†

	स्थान	मियागंज ब्लॉक, उन्नाव ज़िला	भूमि उपयोग*	कृषि भूमि: 180.9 हेक्टेयर
	कुल क्षेत्रफल⁴	264 हेक्टेयर ⁵		सार्वजनिक भूमि: 13.9 हेक्टेयर
	संरचना	2 राजस्व गांव		अन्य भूमि: 69.2 हेक्टेयर (बस्तियाँ और जल निकाय)
	कुल जनसंख्या⁶	2,973	जल संसाधन:	7 तालाब
	पुरुषों की संख्या	1,552		7 कुएं
	महिलाओं की संख्या	1,421	कृषि-जलवायु क्षेत्र⁹	<ul style="list-style-type: none"> मध्य मैदान जलवायु परिस्थितियाँ: गर्म ग्रीष्मकाल और मध्यम वर्षा के साथ ठंडी सर्दियाँ अधिकतम तापमान: 45 °C न्यूनतम तापमान: 5.5 °C वार्षिक वर्षा: 863 मिमी मिट्टी का प्रकार: जलोढ़, पीएच सामान्य से थोड़ा क्षारीय, गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त
	कुल परिवार⁷	584		
	पंचायत अवसंरचना		जिले की समग्र भेद्यता¹⁰	मध्यम
	6 (पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर हाई स्कूल, 2 सामुदायिक हॉल)		जिले के क्षेत्रीय जोखिम सूचकांक	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा भेद्यता: बहुत अधिक ग्रामीण भेद्यता: अधिक कृषि भेद्यता: मध्यम आपदा प्रबंधन भेद्यता: मध्यम वन भेद्यता: मध्यम जल भेद्यता: मध्यम स्वास्थ्य भेद्यता: कम
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ	पशुपालन और कृषि		

† योजना की तैयारी के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण से आंकड़े (फरवरी, 2023)

4 भुवन से प्राप्त आंकड़े से पता चलता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 263 हेक्टेयर है। <https://bhuvanpanchayat.nrsr.gov.in/index.html> पर उपलब्ध है

5 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा के आधार पर

6 प्रारंभिक क्षेत्र सर्वेक्षण नोट्स; जनगणना 2011 आंकड़े: कुल जनसंख्या-1,130; पुरुष-590; महिला-540

7 कुल घर - 584; 549 पक्के घर और 35 कच्चे घर (जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है)

8 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एचआरवीसीए में बताया गया है


9 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

10 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



पानापुर कला ग्राम पंचायत मियागज ब्लॉक उन्नाव ज़िला उत्तर प्रदेश राज्य

स्त्रोत: स्पेस बेस्ड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग
<https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/>



निर्मित भूमि
फसल भूमि
कृषि वृक्षारोपण
नमक प्रभावित भूमि
साफ़ खुली भूमि
झाड़ीदार सघन भूमि
नदी/जल निकाय
सड़क

चित्र 1: पानापुर कलां ग्राम पंचायत, उन्नाव ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)¹¹ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2021 में, वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 1990 की तुलना में 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, एवं अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखा (चित्र 3 देखें)। हालांकि, आईएमडी डेटा पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को बारीकी से नहीं दर्शाता है और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹² के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतः-सरकारी पैनेल (आईपीसीसी)¹³ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁴ के द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय पर समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 20 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों में लगभग 20 दिनों की कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 15-20 दिनों की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत)।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

11 लखनऊ स्थित आईएमडी मौसम केंद्र से पानापुर कलां के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा लिया गया, जो जीपी से लगभग 45 किमी दूर है और उसी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है

12 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)


13 एआर6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

14 भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>, स्रोत: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय



— वार्षिक औसत अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) — वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)

चित्र 2: पनापुर कलां में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2021




चित्र 3: पनापुर कलां में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2021

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए पशुपालन (47 प्रतिशत) और उसके बाद कृषि (41 प्रतिशत) पर निर्भर हैं (चित्र 4 देखें)। कुछ लोग गैर-कृषि मजदूरी (8 प्रतिशत), कला/हस्तशिल्प (3 प्रतिशत) और सेवा क्षेत्र (1 प्रतिशत) जैसी अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं।


प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त पारिवारिक स्तर की आय अनुमानों से पता चलता है कि 24 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से कम कमाते हैं और 47 प्रतिशत परिवार ₹50,000 से ₹1 लाख के बीच कमाते हैं। केवल एक छोटा सा अंश (3 प्रतिशत) परिवार ₹5 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।




चित्र 4: पनापुर कलां में घरेलू स्तर पर आय के स्रोत

सर्वेक्षण के समय, 37 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) थे, यानी जीपी में कुल परिवारों का 6.3 प्रतिशत। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 56 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 70 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड¹⁵ है (चित्र 6 देखें)।

15 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा के अनुसार आंकड़े




चित्र 5: पनापुर कलां में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान



चित्र 6: पनापुर कलां में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं


कार्यरत महिलाएं ग्राम पंचायत में लगभग 375 महिलाएँ कार्यरत हैं। पनापुर कलां ग्राम पंचायत की अधिकांश महिलाएं कृषि और पशुपालन में लगी हुई हैं। कुछ महिलाएं गैर-कृषि मजदूरी, कला/हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में भी सम्मिलित हैं (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में कुल घरों में से ~6 प्रतिशत ऐसे घर हैं जिनकी मुखिया महिलाएं¹⁶ हैं। इसके अतिरिक्त, 12 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं, जिनमें से केवल 6 सक्रिय हैं। ये एसएचजी भैंस और बकरी पालन जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।



चित्र 7: पनापुर कलां में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या

कृषि

पनापुर कलां में, लगभग 41 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं (चित्र 4 देखें)। ये परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में लगे हुए हैं¹⁷ (चित्र 8 देखें)।



चित्र 8: पनापुर कलां में केवल कृषि पर निर्भर परिवार


16 महिला प्रधान परिवार वे परिवार हैं, जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

17 ध्यान देने वाली बात यह है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि कार्य में लगे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे भूमि मालिक भी बड़े खेतों पर मजदूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े भूमि मालिक किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

पनापुर कलां में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 180.9 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र ~388.7¹⁸ हेक्टेयर है। चित्र 9 में ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र (हेक्टेयर) का फसलवार वितरण दिया गया है। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलों में धान (~8,800 किंटल) और उड़द (~900 किंटल) हैं। ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूँ (~8,720 किंटल) और सरसों (~800 किंटल) हैं।

ग्राम पंचायत में सिंचाई के मुख्य स्रोत नहर का पानी और बोरवेल हैं। इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 25 डीजल पंप और 2 इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग किया जाता है।

ग्राम पंचायत की लगभग 47 प्रतिशत आबादी पशुपालन में लगी हुई है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन संख्या 1,266 (50 गाय, 481 भैंस, 700 बकरियां, 35 सूअर) है। ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन भी किया जाता है।



चित्र 9: पनापुर कलां में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

ग्राम पंचायत पनापुर कलां में 7 तालाब हैं, जिनमें से एक को अमृत सरोवर के रूप में तैयार किया जा रहा है। 13.9 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में एक बाग भी है जिसमें लगभग 850 आम के पेड़ हैं। ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले अन्य आम पेड़ों में अमरूद और नीलगिरी शामिल हैं। ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन के अंतर्गत लगभग 45 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियाँ भी की गई हैं। लगाए गए पेड़ों में बबूल और करंज शामिल हैं, जिनकी सफलता दर 80 प्रतिशत है।

18 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चाओं के आधार पर

पनापुर कलां में सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस

- बिजली कनेक्शन- 80% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन- 85% परिवार



पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत-भूजल है
- पाइप से पानी का कनेक्शन:¹⁹ 6% परिवार
- 60 इंडिया मार्क हैडपंप




अपशिष्ट पदार्थ

- खुले में शौच से मुक्त पंचायत है
- घरेलू शौचालय कवरेज: 97.6%



आवागमन एवं बाज़ार तक पहुँच

- राज्य राजमार्ग (एसएच 38): 12 किमी
- राशन की दुकान: 0.4 किमी
- डाकघर: 1 किमी
- रेलवे स्टेशन: 12 किमी
- बस स्टेशन: 10 किमी
- कृषि बाजार: 5 किमी
- बैंक: 5.5 किमी
- खंड विकास कार्यालय: 6 किमी




शिक्षा

- 2 प्राथमिक विद्यालय
- 1 जूनियर हाई स्कूल

स्वास्थ्य

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: 6 किमी
- जिला अस्पताल: 40 किमी




¹⁹ पाइप से जल कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है

ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, अनुशासकों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बनाने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (GHG) के उत्सर्जन प्रक्षेपण को सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुशासक प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, पनापुर कलां ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~2,084 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने पनापुर कलां के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बिजली की खपत²⁰, खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस (LPG) का इस्तेमाल, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का इस्तेमाल और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के इस्तेमाल के कारण होता है। कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक के प्रयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन, फसल के अवशेषों को जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में पनापुर कलां में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र द्वारा ग्राम पंचायत में कुल उत्सर्जन का 58 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें धान की खेती से उत्सर्जन (~605 tCO₂e) का सबसे बड़ा योगदान है, इसके बाद पशुधन उत्सर्जन (~451 tCO₂e) और उर्वरक उत्सर्जन (~106 tCO₂e) का स्थान है। ऊर्जा क्षेत्र का पनापुर कलां के कुल उत्सर्जन का 36 प्रतिशत हिस्सा है। ऊर्जा क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र प्रमुख उत्सर्जक (~376 tCO₂e) है, इसके बाद आवासीय खाना पकाने (~274.4 tCO₂e) और बिजली की खपत (~69 tCO₂e) का स्थान है। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट क्षेत्र ने कुल उत्सर्जन में 6 प्रतिशत (~123 tCO₂e) का योगदान है (चित्र 11 देखें)।



चित्र 11: 2022 में पनापुर कलां के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

20 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गई है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़े पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे:

- पर्याप्त जल निकासी हेतु बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अधिक जलजमाव की स्थिति
- सीमित पाइप जलापूर्ति और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच
- सीमित अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंधन गतिविधियां
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझाव/संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। सुझावों/संस्तुतियों को **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**²¹ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना' के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत सुझाव/संस्तुतियाँ निम्नलिखित खंड में हैं।

इस कार्ययोजना में प्रस्तावित मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें, मुख्य सुझावों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

21 लागत का अनुमान निम्न जैसे विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है:
ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी,
या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान,
या आवश्यक जानकारी की प्रति इकाई अनुमानित लागत
या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे²²

- पनापुर कलां ग्राम पंचायत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है, जबकि कृषि जरूरतों को नहरों और निजी बोरवेल के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- वर्ष 2018 से 2022 के बीच मई से जुलाई तक सूखे और सूखे जैसी स्थिति की घटनाएं हुई हैं, जिससे पानी की उपलब्धता में कमी आई है। इससे पेयजल का संकट, सिंचाई की बढ़ती जरूरतें, उत्पादकता में गिरावट और अन्य प्रभावों के अलावा चारे की कमी भी हुई है। इसलिए, पनापुर कलां में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है।
- वर्ष 2018-2022 के बीच अगस्त से सितंबर तक बाढ़ की लगातार घटनाएं हुई हैं। इससे कनेक्टिविटी प्रभावित होती है, कचरे का जमाव होता है जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, पेयजल को प्रदूषित करता है और कृषि को प्रभावित करता है। अपर्याप्त जल निकासी बुनियादी ढांचे के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई है।
- ग्राम पंचायत में 7 तालाब हैं, और इनमें से एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालांकि, रखरखाव में कमी के कारण और गाद, मलबे और कचरे के जमा होने के कारण उनमें से अधिकांश उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मानसून के दौरान, अहमदपुर में तीन तालाबों के विलय से एक बड़ी झील बन जाती है, जिससे बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वित्तीय नुकसान होता है और आजीविका का संकट पैदा होता है।
- जल निकासी की समस्या के अलावा, ग्राम पंचायत में प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली का अभाव है और शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का बड़ा हिस्सा तालाबों में छोड़ दिया जाता है।
- ग्राम पंचायत में पेयजल की आपूर्ति के लिए 60 इंडिया मार्क हैंडपंप हैं, लेकिन भूजल स्तर में गिरावट, भूजल प्रदूषण और लवणता की समस्याओं के कारण ये समुदाय की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इससे जल जनित बीमारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए, ग्राम पंचायत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, गांव में 7 कुएं हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर रखरखाव की कमी और कचरे के जमा होने के कारण उपयोग के लायक नहीं हैं। फील्ड सर्वे में यह भी बताया गया है कि बार-बार सूखे के कारण कुछ कुएं सूख गए हैं। इसलिए, उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की जरूरत है।

पिछले पांच वर्षों में भूजल पर निर्भरता और जलजमाव तथा सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण तथा भूजल संसाधनों की भरपाई के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। पनापुर कलां में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने तथा जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं।

²² जैसा कि क्षेत्र के सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना²³ भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढे तैयार करना <p>*सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1,500 वर्ग फीट से अधिक आकार के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना अतिरिक्त पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई <p>*सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>1,000 वर्ग फुट आकार के भूखंड से ऊपर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</p> <p>*सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सरकारी भवनों में 4 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना- प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और 2 सामुदायिक हॉल 15 पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई 	<ol style="list-style-type: none"> 69 घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच स्थापित किया जाना अतिरिक्त 15 पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई 	<p>105 घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच स्थापित किया जाना</p>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच (10 घन मीटर की क्षमता की 4 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹1,40,000 15 पुनर्भरण गड्ढे: ₹5,25,000 <p>कुल लागत: ₹6,65,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: 69 इकाइयों के लिए ₹24,15,000 15 पुनर्भरण गड्ढे: ₹5,25,000 <p>कुल लागत: ₹29,40,000</p>	<p>आरडब्ल्यूएच : 105 इकाइयों के लिए ₹36,75,00,000</p> <p>कुल लागत: : ₹36,75,00,000</p>

23 आरडब्ल्यूएच संरचना पहले से ही एक प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन में स्थापित की गई है।



जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों का जीर्णोद्धार 2. कुओं की सफाई और मरम्मत 3. हैंडपंपों की रिबोरिंग 4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण और ट्री गार्ड लगाना 5. मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)²⁴ का क्षमता निर्माण <p>क. जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना</p> <p>ख. विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अपडेट करना</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव किया जाना 2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य 3. उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना को अद्यतन करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव किया जाना 2. उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना को अद्यतन करना
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 में से 4 तालाबों की सफाई और खुदाई 2. 10 कुओं की सफाई और मरम्मत²⁵ 3. 10 हैंडपंपों की रिबोरिंग 4. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी 7 तालाबों का रखरखाव 2. कुओं और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव किया जाना 3. जल निकायों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1,000 पेड़ लगाए जाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी 7 तालाबों का रखरखाव किया जाना 2. कुओं और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव

लक्ष्य

24 वीडब्ल्यूएससी हैंडबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

25 एचआरवीसीए के अनुसार

अनुमानित लागत²⁶

<ol style="list-style-type: none"> 4 तालाबों की सफाई और खुदाई: ₹22,00,000 10 कुओं की सफाई: ₹8,00,000 10 हैंडपंपों की रिबोरिंग: ₹1,20,000 जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित क्षेत्र और जैव विविधता को बढ़ाना" खण्डों में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹31,20,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7 तालाबों का रखरखाव: ₹26,25,000 जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित क्षेत्र और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹26,25,000</p>	<p>7 तालाबों का रखरखाव: ₹26,25,000</p>
---	---	--



जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नई नालियों का निर्माण जलजमाव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई और मरम्मत कार्य करना अतिरिक्त जल की निकासी और जलजमाव को कम करने के लिए साइफन लगाना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा नालियों की नियमित सफाई एवं रखरखाव अतिरिक्त नालों का निर्माण (यदि आवश्यक हो) साइफन का नियमित रखरखाव 	<p>सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव करना</p>
लक्ष्य ²⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1.4 किलोमीटर नई नालियों का निर्माण मौजूदा नालियों की सफाई और मरम्मत चयनित स्थानों पर साइफन लगाना 	<p>मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव करना</p>	<p>सभी मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव किया जाना</p>

²⁶ एचआरवीसीए के अनुसार लागत

²⁷ स्थान विशिष्ट विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत²⁸

<ol style="list-style-type: none"> नई नालियों के निर्माण की लागत: ₹1,00,00,000 नालियों की सफाई की लागत: ₹8,00,000 साइफन की स्थापना: ₹23,00,000 <p>कुल लागत: ₹1,31,00,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



अपशिष्ट जल प्रबंधन

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रशोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस /DEWATS) की स्थापना आवश्यकतानुसार सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस का नियमित रखरखाव किया जाना आवश्यकतानुसार सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> भावी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपशिष्ट जल उपचार इकाई का विस्तार किया जाना मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सोख गड्ढों का नियमित रखरखाव किया जाना 	

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 300 केएलडी क्षमता वाले 1 डीईडब्ल्यूएटी की स्थापना करना आवश्यकतानुसार सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट जल प्रशोधन अवसंरचना का रखरखाव आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सोख गड्ढों का निर्माण 	अपशिष्ट जल प्रशोधन अवसंरचना का रखरखाव
---	---	---------------------------------------

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> डीईडब्ल्यूएटी की लागत: ₹90,00,000²⁹ <p>कुल लागत: ₹90,00,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------

²⁸ एचआरवीसीए के अनुसार लागत

²⁹ डीईडब्ल्यूएटी की लागत प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित चर के अनुसार भिन्न हो सकती है

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर की स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- सोख गड्डों के निर्माण के माध्यम से जीपी स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन को जल शक्ति अभियान: सुजलाम 2.0 अभियान के माध्यम से चैनलाइज़ किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाटरशेड विकास निधि के माध्यम से वाटरशेड विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



2. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे³⁰

- पनापुर कलां ग्राम पंचायत में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~180.9 हेक्टेयर है और सकल फसली क्षेत्र लगभग ~388 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 41 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 47 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन प्रथाओं पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~178 हेक्टेयर), गेहूं (~176 हेक्टेयर), उड़द (~18 हेक्टेयर) और सरसों (~16 हेक्टेयर) है।
- ग्राम पंचायत ने 2018 और 2022 में सूखे/सूखे जैसी स्थिति का अनुभव किया, जो आमतौर पर मई-जुलाई के दौरान होता है, जिससे फसल खराब हो जाती है और चारे की कमी से किसानों की आजीविका को खतरा होता है³¹।
- गेहूं की बुवाई का समय अक्टूबर/नवंबर से बदलकर नवंबर/दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आ गया है। इसी तरह, धान के लिए बुवाई का समय अपर्याप्त वर्षा और जलजमाव के कारण जून से बदलकर जुलाई हो गया है।
- क्षेत्र सर्वेक्षणों में बताया गया है कि कृषि जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल मिलता है।
- वर्ष 2018 से 2022 तक, तीव्र गर्मी, कीटों और अपर्याप्त वर्षा के कारण फसल का नुकसान हुआ है। यह नुकसान लगभग ~ 1,280 क्विंटल उपज (गेहूं और धान) या लगभग ₹26 लाख (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा पुष्टि) है।
- किसान प्रति वर्ष ~88 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~106 टन CO₂e का जीएचजी उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य रासायनिक इनपुट पर भी निर्भर है। पनापुर कलां में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- अत्यधिक मौसमी घटनाओं के कारण, 2018-2022 के बीच शीत लहर के कारण लगभग 425 बकरियों का नुकसान हुआ | नुकसान का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न पशुधन बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी है।

उपर्युक्त बिंदु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

30 क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार

31 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर



कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	1. ड्रिप सिंचाई और स्पिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना	1. मेड़बंधी का विस्तार करना	मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव
	2. कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी	2. अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण	
	3. कृषि तालाबों का निर्माण	3. मौजूदा कृषि तालाबों और पेड़ों वाले मेड़ों का नियमित रखरखाव	
	4. धान की सूखा सहने वाली किस्म को अपनाना और फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष बीजित धान की ओर रुख करना	4. जागरूकता पैदा करने की पहल जारी रखना और किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना	
	5. फसलों में आवश्यकता आधारित पोषक तत्व प्रबंधन (जैसे जैविक पुनर्चक्रण, पत्तियों पर छिड़काव के लिए पोषक तत्व, आदि) ³²		
	6. सिंचित क्षेत्रों से वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने के लिए मल्लिंग का उपयोग		
	7. किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना		

³² सूखा मैनुअल (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

लक्ष्य

1. लगभग 34 हेक्टेयर (सरसों और उड़द के अंतर्गत 100% कृषि भूमि) पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ शुरू की गईं
2. 90.4 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी की जाएगी (कुल कृषि भूमि का 50%)
3. 5 कृषि तालाबों का निर्माण

1. सभी कृषि भूमि 90.4 हेक्टेयर (100% कवरेज) पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी की जाएगी
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण और मौजूदा कृषि तालाबों का रखरखाव किया जाना

मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव

अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई पर लागत: ₹34,00,000
 2. मेड़बंधी पर लागत: ₹1,42,695
 3. कृषि तालाब पर लागत: ₹4,50,000
- कुल लागत: ₹39,92,695

मेड़बंधी पर लागत: ₹1,42,695
कुल लागत: ₹1,42,695

आवश्यकतानुसार



प्राकृतिक खेती को अपनाना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> 1. जैविक खाद, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना क. प्रशिक्षण और प्रदर्शन ख. प्राकृतिक खेती प्रमाणन की शुरुआत ग. बाजार तक पहुंच और संपर्कों की खोज 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी बीज बैंक प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) 2. चरण I में क्रियान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	<p>कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का 100% विस्तार</p>

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2. वाष्पीकरण को कम करके और नमी बनाए रखने में वृद्धि करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिचंग, जीरो टिलेज जैसी विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना

लक्ष्य

27 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना

45 हेक्टेयर (अतिरिक्त 25% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

109 हेक्टेयर (%100 कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमानित लागत

1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000
2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹66,71,700
कुल लागत: ₹67,31,700

1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000
2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,11,19,500
कुल लागत: ₹1,11,79,500

1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000
2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,69,33,900
कुल लागत: ₹2,69,93,900



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण



2024-25 से 2026-27

1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना
2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना
पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग " विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची" देखें।



2027-28 से 2029-30

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना



2030-31 से 2034-35

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण³³

1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

33 जीपी की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना एवं संचालन (स्वच्छ, सतत, किफायती एवं विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - » कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, पनापुर कलां में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईएमपी)
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, उन्नाव



3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा व्यावसायिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट³⁴ लगभग 237 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें 137 किलोग्राम प्रतिदिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट तथा 100 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट शामिल है।
- पनापुर कलां में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण तथा प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के भीतर जल निकायों, सड़कों तथा भूखंडों में अपशिष्ट फेंका जाता है।³⁵ इसके परिणामस्वरूप जल निकायों का प्रदूषण होता है तथा मानसून के दौरान नालियों के जाम होने के कारण जलजमाव होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं।
- कृषि तथा पशु अपशिष्ट की बढ़ी मात्रा भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन संख्या 1,266 (50 गाय, 481 भैंस, 700 बकरियां, 35 सूअर)³⁶ है और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 7.8 टन प्रतिदिन है, जिसे खाद बनाने, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंध किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में घरेलू शौचालय कवरेज लगभग 97.5% है।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए किराए पर लेना इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन और कर्मचारी: 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तर पर रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित मौजूदा कचरा डिब्बों का रखरखाव

34 अनुमान लगाने की पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

35 परामर्श और क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय और ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार

36 मान लें कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर, बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर और सूअर प्रतिदिन 2 किलोग्राम गोबर देती हैं।

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

<p>क. घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह</p> <p>ख. घरों से ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</p> <p>3. चयनित स्थानों (राशन की दुकानें, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदानों की स्थापना</p> <p>4. पंचायत, एसएचजी, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं, स्थानीय व्यवसायों और एमएसएमई के बीच साझेदारी स्थापित करना</p>	<p>2. स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना</p> <p>3. ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना-</p>
--	---	---

लक्ष्य

<p>1. विशिष्ट स्थान पर कचरा प्रबंधन सुविधा की स्थापना</p> <p>2. प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ~237 किलोग्राम कचरे को एकत्र करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान</p> <p>3. चयनित स्थानों पर 20 कूड़ेदान की स्थापना</p>	<p>1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</p> <p>2. मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव</p> <p>3. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</p> <p>2. मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव</p> <p>3. साझेदारी को बढ़ाना</p>
--	--	--

अनुमानित लागत

<p>1. अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना³⁷: ₹4,00,000</p> <p>2. इलेक्ट्रिक कचरा वैन: ₹1,00,000</p> <p>3. 20 कूड़ेदान: ₹3,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹8,00,000</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>
--	----------------------	----------------------

37 स्थान विशेष विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें



बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना विकलांग समुदाय के सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय का अवश्य से निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय का अवश्य से निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय का अवश्य से निर्माण
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 14 घरों में द्विन-पिट शौचालयों का निर्माण (शेष घरों में घरेलू स्तर पर शौचालय नहीं हैं) विकलांग समुदाय के सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण 	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> द्विन-पिट शौचालय की लागत: ₹2,10,000-₹2,80,000 विकलांग समुदाय के सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण: ₹1,00,000³⁸ <p>कुल लागत: ₹ 3,10,000-₹3,80,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

38 अनुलग्नक IV देखें



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नाडेप कम्पोस्ट पिट और वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना ग्राम पंचायत में कम्पोस्ट मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव किया जाना भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 30 नाडेप कम्पोस्ट पिट और 15 वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना पंचायत समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसे "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है): क. खाद का उत्पादन और बिक्री ख. कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट पिट का रखरखाव किया जाना साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट पिट का रखरखाव किया जाना साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत ³⁹	<p>30 नाडेप कम्पोस्ट पिट और 15 वर्मीकम्पोस्ट पिट की लागत: ₹4,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹4,50,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

39 एचआरवीसीए के अनुसार लागत



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
	<p>1. निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:</p> <p>क. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)</p> <p>ख. छात्र एवं युवा समूह</p> <p>ग. समुदाय के सदस्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान</p> <p>2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है)</p>	<p>1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना</p>	<p>1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना</p>
	<p>1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>2. 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाएगा (वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 150 महिलाओं में से)</p>	<p>1. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया</p> <p>2. इस ग्राम पंचायत एवं आस-पास के गांवों से बढ़ी सहभागिता:</p> <p>क. अतिरिक्त 200 महिलाएँ</p> <p>ख. अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी</p>	<p>1. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया</p> <p>2. आसानी से विकल्प उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है</p>

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद बनाने की सुविधाओं के निर्माण हेतु मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत अवसंरचना के विकास और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अलावा, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए ग्रामपंचायत के अपने संसाधनों, बंधे और खुले निधियों सहित, का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ एवं मुद्दे⁴⁰

- पनापुर कलां ग्राम पंचायत के पास कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है और इसमें सीमित हरित क्षेत्र है।
- अहमदपुर के पास एक बाग में करीब 850 आम के पेड़ हैं। ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले अन्य पेड़ों में यूकेलिप्टस और अमरूद शामिल हैं।
- ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन के तहत करीब 45 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गई हैं। सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाले पेड़ बबूल और करंज हैं, जिनकी सफलता दर 80 प्रतिशत है।

पनापुर कलां ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है क्योंकि इससे न केवल थर्मल आराम में सुधार होगा और छाया मिलेगी, बल्कि ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।



हरित आवरण में सुधार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	1. निम्न विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ ⁴¹	1. मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव 2. बाल वन ⁴² के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखा जाना और बढ़ाया जाना	1. वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव- बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण

40 क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि के अनुसार

41 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

42 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन के माध्यम से पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

<p>क. छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम⁴³ (5 छात्रों का चयन)</p> <p>ख. देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण</p> <p>2. आरोग्य वन का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षारोपण⁴⁴</p>	<p>3. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना</p> <p>4. आरोग्य वन की स्थापना</p>	<p>2. कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार</p> <p>3. आरोग्य वन में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ स्थापित करना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में बताया गया है)</p>
<p>1. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 2,000 पौधे लगाए जाएंगे और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित किया जाना</p> <p>पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂⁴⁵ तक।</p> <p>2. आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकित किया जाना</p>	<p>1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 2,000 से 2,500 पौधे लगाए जाना</p> <p>पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂</p> <p>2. आरोग्य वन की स्थापना और रखरखाव</p> <p>3. ~ 70.5 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना 7,050⁴⁶ पेड़ लगाना</p> <p>पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 39,480 tCO₂ से 70,500 tCO₂</p> <p>4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों और युवा समूहों की क्षमता निर्माण। विनिर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों की क्षमता निर्माण।</p>	<p>1. अतिरिक्त 2,500 से 3,000 पौधे रोपे गए।</p> <p>15-20 वर्षों में 16,800 tCO₂ से 30,000 tCO₂ तक की पृथक्करण क्षमता</p> <p>2. शेष 105.8 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाना, 10,580 पेड़ लगाना</p> <p>20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता: 59,248 tCO₂ से 1,05,800 tCO₂ तक</p> <p>3. आरोग्य वन का रखरखाव किया जाना तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना</p>

43 विद्यालय के छात्रों को वृक्षारोपण में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेताओं को चुना जाएगा जो अपने साथियों के साथ-साथ जीपी समुदाय को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे।

44 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

45 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया है

46 गेहूँ के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (~176.4 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹25,40,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000- ₹31,75,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹28,20,000</p> <p>कुल लागत: ₹53,60,000- ₹9,95,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹31,75,000-₹38,10,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹42,32,000</p> <p>कुल लागत: ₹74,07,000- ₹80,42,000</p>
--	---	---



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना</p> <p>2. जागरूकता बढ़ाना</p>	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना</p> <p>2. जागरूकता को मजबूत करना</p>	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना</p> <p>2. जागरूकता को मजबूत करना</p>

लक्ष्य

<p>1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि</p> <p>2. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</p>	<p>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना</p>	<p>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना</p>
---	---	---

अनुमानित लागत

<p>जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण पर लागत⁴⁷ : ₹25,000</p>
--

47 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम


- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उग्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्था, लखनऊ
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग



5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

संदर्भ एवं मुद्दे⁴⁸

- पनापुर कलां ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022-23 में लगभग 84,175 यूनिट (किलोवाट प्रति घंटा) बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत के लगभग 80 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है। समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार, बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में औसतन हर दिन 6-7 घंटे बिजली कटौती होती है।
- बिजली की कटौती के कारण, ग्राम पंचायत में बिजली बैक-अप के लिए 2 डीजल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना लगभग ~3.7 किलोलिटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 25 डीजल पंप हैं जो सालाना लगभग 9.7 किलोलिटर ईंधन की खपत करते हैं।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत उपकरण और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (105 स्ट्रीट लाइट और 5 हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट) की आवश्यकता जताई है।⁴⁹
- लगभग 87 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। रसोई में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के समाधानों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि बेहतर इनडोर वायु गुणवत्ता जैसे सह-लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की चिन्हित ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और साथ ही वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, आदि के संयोजन में, पनापुर कलां में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

⁴⁸ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों से इसकी पुष्टि की गई

⁴⁹ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सोलर रूफटॉप की संस्थापना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सभी सरकारी भवनों ⁵⁰ पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक की स्थापना। प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, बालिका हाई स्कूल और सामुदायिक हॉल	1. पक्के मकानों के छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना। 2. सभी नये भवनों पर छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना। (चरण II के दौरान निर्मित)	1. पक्के घरों पर छतों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का विस्तार करना। 2. सभी नई भवनों (चरण III के दौरान निर्मित) पर छतों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना। 3. सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना।
लक्ष्य ⁵¹	सोलर रूफटॉप की स्थापना: क. प्राथमिक विद्यालय, पनापुर कलां : (300 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp ख. प्राथमिक विद्यालय, कैलाशपुर: (300 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp ग. जूनियर हाई स्कूल: (300 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp घ. सामुदायिक हॉल: (140 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp ड. सामुदायिक हॉल: (140 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 50 kWp उत्पादित बिजली: 66,960 kWh प्रति वर्ष (~183 यूनिट प्रति दिन)	220 (~40%) पक्के घरों ⁵² पर सोलर रूफटॉप की स्थापना। सौर छत क्षमता स्थापित: 660 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~8,83,872 kWh ⁵³ प्रति वर्ष (~2,421 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: लगभग ⁵⁴ 725 tCO ₂ e प्रति वर्ष	329 (~100% कवरेज) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना सौर छत क्षमता स्थापित: 987 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~13,21,790 kWh प्रति वर्ष (~3,621 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 1,083 tCO ₂ e

50 पंचायत भवन की इमारत पर पहले से ही सौर पैनल लगाए जा चुके हैं।

51 पंचायत भवन में सौर ऊर्जा स्थापना की अधिकतम सीमा 10 kWh है।

52 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना जाता है; प्रति घर छत पर 3 kWp की स्थापना का अनुमान है।

53 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से अधिक है।

54 इस उत्सर्जन से बचने से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
लक्ष्य	<p>ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 54 tCO₂e प्रति वर्ष</p> <p>हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, कुछ परिवार भी छतों पर सौर पीवी स्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।</p>	<p>220 (~40%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना।</p> <p>सौर छत क्षमता स्थापित: 660 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~8,83,872 kWh प्रति वर्ष (~2,421 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: लगभग 725 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>329 (~100% कवरेज) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना</p> <p>सौर छत क्षमता स्थापित: 987 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~13,21,790 kWh⁵⁵ प्रति वर्ष (~3,621 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: लगभग 1,083 tCO₂e प्रति वर्ष</p>
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹25,00,000	कुल लागत: ₹3,30,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ⁵⁶ ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹1,98,00,000	कुल लागत: ₹4,93,50,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹2,96,10,000



एग्रो-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर एग्रो- फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर एग्रो- फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत)

55 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से अधिक है।

56 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

लक्ष्य	किसानों के बीच एग्रो-फोटोवोल्टिकस पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र आयोजित करना	2 हेक्टेयर में एग्रो- फोटोवोल्टिक स्थापित स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e ⁵⁷ प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में एग्रो- फोटोवोल्टिक स्थापित स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
	अनुमानित लागत	कुल लागत ⁵⁸ : ₹5,00,00,000	कुल लागत: ₹5,00,00,000



सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	वर्तमान में स्थापित 25 (20 प्रतिशत) मौजूदा डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना* *यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है	सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना	सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ			
लक्ष्य	25 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना स्थापित क्षमता: ~138 kW बिजली उत्पादन क्षमता: 1,84,140 kWh प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 26 tCO ₂ e प्रति वर्ष	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

57 उत्सर्जन से बचने से जीपी को कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी

58 प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कृषि पीवी की लागत कम हो रही है। हालांकि, उच्चतर पक्ष पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों के लिए भी फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत एग्रो-फोटोवोल्टिकस की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹75,00,000- ₹1,25,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)		
प्रभावी लागत: ₹30,00,000- ₹50,00,000		



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>
लक्ष्य	<p>परिदृश्य 1: 129 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवार मवेशी रखते हैं) + 455 परिवार एलपीजी का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 20 परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (25% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 564 परिवार एलपीजी का उपयोग</p>	<p>परिदृश्य 1: 129 और घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% घर) + 327 घर एलपीजी का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 40 और घर सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% घर) + 524 घर एलपीजी का उपयोग</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 258 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% परिवार मवेशी रखते हैं) + 69 परिवार एलपीजी का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 20 और परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 504 परिवार एलपीजी का उपयोग</p>

लक्ष्य

परिदृश्य 3: 20 परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (25% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 124 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (25% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग)

इसमें ग्राम पंचायतों में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।

परिदृश्य 3: 40 और घर सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% घर) + 124 और घर बेहतर चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले अतिरिक्त 25% घर)

इसमें ग्राम पंचायतों में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।

परिदृश्य 3: 20 और परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 248 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 50% अतिरिक्त परिवार)।

इसमें ग्राम पंचायतों में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹64,50,000

परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹9,00,000

परिदृश्य 3: ₹12,72,000

औसत कुल लागत: ₹28,74,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹64,50,000

परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹18,00,000

परिदृश्य 3: ₹21,72,000

औसत कुल लागत: ₹34,74,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹1,29,00,000

परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹9,00,000

परिदृश्य 3: ₹16,44,000

औसत कुल लागत: ₹51,48,000



ऊर्जा दक्षता

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> सभी पीआरआई इमारतों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदलना जीपी के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना। निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> सीएफएल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाना घरों में पारंपरिक पंखों की जगह ऊर्जा कुशल पंखे लगाना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 	<p>घरों में पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना</p>

लक्ष्य

1. सभी पंचायती राज संस्थाओं/ सरकारी भवनों में मौजूदा बल्बों को 100% एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना
2. सभी घरों में मौजूदा 345 सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना (प्रत्येक परिवार के लिए 1) और 584 ट्यूबलाइटों को एलईडी ट्यूबलाइटों से बदलना (प्रत्येक परिवार के लिए 1)

1. सभी घरों में बची हुई 213 ट्यूब लाइट (प्रत्येक घर में 1) को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना
2. सभी घरों में 584 ऊर्जा कुशल पंखे (प्रत्येक घर में 1) बदलना

शेष 412 ऊर्जा कुशल पंखों को बदलना (प्रति घर 1)

अनुमानित लागत

345 एलईडी बल्ब पर लागत:
₹24,150

584 एलईडी ट्यूब लाइट पर लागत :
₹1,28,480

कुल लागत : ₹1,52,630

213 एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत:
₹46,860

584 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹648240

कुल लागत: ₹6,95,100

412 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹4,57,320

कुल लागत: ₹4,57,320



सोलर स्ट्रीट लाइट⁵⁹

चरण

I
2024-25 से 2026-27

1. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना
2. सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना

II
2027-28 से 2029-30

1. नई सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना
2. अधिक उच्च-मस्तूल सौर एलईडी की स्थापना
3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत

III
2030-31 से 2034-35

1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित किया जाना
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी में परिवर्तित किया जाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

59 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर।

लक्ष्य

1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना
2. 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना

1. 55 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना
2. आवश्यकतानुसार अधिक हाई-मास्ट सौर एलईडी स्थापित करना

1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित किया जाना
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी में परिवर्तित किया जाना

अनुमानित लागत

1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की लागत: ₹5,00,000
 2. 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत : ₹2,50,000
- कुल लागत: ₹7,50,000

1. 55 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना: ₹5,50,000
 2. आवश्यकतानुसार
- कुल लागत: ₹5,50,000

आवश्यकतानुसार

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁶⁰ में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
 - » आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
 - » स्वयं के द्वारा रेस्को⁶¹ मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं है
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किये जा सकते हैं⁶²। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 3 किलोवाट पर सीमित किया गया है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है।

60 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf

61 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

62 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- पीएम कुसुम योजना में निम्न प्रावधान किया गया है :
 - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
 - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किस्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
 - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी); यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
 - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वाईएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁶³
 - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और MNRE सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट की LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना⁶⁴
 - » ₹.10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁶⁵ के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है। ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।

63 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

64 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी।

65 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलींग, वजन करना, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट प्रीजिंग, मोबाइल कूलींग यूनिट्स

- » स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों⁶⁶ की स्थापना हेतु प्रति जिला 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶⁷ गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर रु. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम रु. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता रु. 0.25 करोड़ प्रति 12000 m³/दिन है⁶⁸
- पीएम-सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं⁶⁹।

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर (CSR) निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/ एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना
 - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

66 <https://pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=1883926>

67 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

68 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

69 <https://pmsuryaghar.gov.in/>



6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ एवं मुद्दे⁷⁰

- पनापुर कलां में कुल 188 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 250 दोपहिया वाहन, 12 कार, 30 जीप, 2 ऑटो और 7 ट्रैक्टर। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 2 ई-रिक्शा भी हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा प्रति वर्ष कुल ईंधन की खपत ~64 किलो लीटर डीजल और ~85 केएल पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से ~376 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्राम पंचायत के भीतर कई सड़कें जलजमाव से प्रभावित हैं और उन्हें ऊंचा करने की आवश्यकता है।

इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की काफी संभावना है।



मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे बेहतर बनाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत के भीतर सड़कों का उच्चिकरण करना	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का रखरखाव और मरम्मत करना	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का निरंतर रखरखाव और मरम्मत करना जारी रखना
लक्ष्य	800 मीटर सड़क के लिए सड़क का उच्चिकरण	सड़कों का नियमित रखरखाव/मरम्मत करना	सड़कों का नियमित रखरखाव/मरम्मत किया जाना

70 क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

अनुमानित लागत

सड़क का उन्नयन पर लागत: ₹1,40,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
कुल लागत: ₹1,40,00,000		



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटो-रिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा लाना	अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अधिक ई-रिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं
लक्ष्य	2 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलें	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदा जाना	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदा जाना
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ⁷¹ लगभग ₹3,00,000 प्रति वाहन ₹12,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है। प्रभावी लागत: ₹5,76,000 जीएचजी का उत्सर्जन में कमी : 4.8 tCO ₂ e ⁷²	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

71 ई-ऑटोरिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹1,50,000 से ₹4,00,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जा रहा है

72 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति ऑटोरिक्शा से 2.4 tCO₂ ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई। डीज़ल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा आने से इस उत्सर्जन में गिरावट आएगी और इस तरह ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन पॉजिटिव भी बन सकता है।



ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना। ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों को किराये पर लेने की सुविधा स्थापित करना 	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे जाना	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 5 ई-ट्रैक्टर के लागत : ₹30,00,000 5 ई-माल वाहक के लागत : ₹25,00,000 – ₹50,00,000 <p>कुल लागत: ₹55 लाख- ₹80 लाख</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
 - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁷³ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत

- जीपी का संसाधन लिफाफा और ओएसआर
- सीएसआर समर्थन के साथ बैंकों और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

73 सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

पशुपालन और कृषि ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है और लगभग 88 प्रतिशत से अधिक परिवार इस गतिविधि में लगे हुए हैं। ये क्षेत्र खास तौर पर बार-बार सूखे जैसी स्थिति, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन में मौजूदा असंवहनीय उत्पादन प्रथाओं के कारण आजीविका की असुरक्षा से भरे हुए हैं। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत पशुपालन और/या गैर-कृषि मजदूरी हैं। पिछले 5 वर्षों में बेहतर आजीविका की तलाश में लगभग 33 लोग ग्राम पंचायत से बाहर चले गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, ग्राम पंचायत के भीतर उल्लिखित गतिविधियों से परे रोज़गार के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना
2. क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- » 100 महिलाएँ
- » 12 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में भैंस और बकरी पालन जैसी गतिविधियों में शामिल)
- » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएं
- » अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - » क. खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
 - » ख. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
 - » घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पादित खाद/वर्मीकम्पोस्ट: 137 किलोग्राम प्रतिदिन; 4,110 किलोग्राम प्रति माह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
 - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि पर आधारित)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य**
 - » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपये)
 - » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग 9.2 लाख रुपये)
2. **मध्यावधि लक्ष्य**
 - » 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के इस्तेमाल के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)
लागत: ₹8 से ₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी करना

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रखरखाव(ओ&एम)

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों को नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की सीएसआर, अपस्किंग योजनाओं से समर्थन

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को हरित उद्यमिता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) का समर्थन करने के लिए संवेदनशील बनाना; मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना जैसी सरकारी ऋण योजनाएं महिला उद्यमियों का समर्थन करती हैं।
- मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल नवाचार मिशन जैसी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करके आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 74,75,76:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

74 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

75 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

76 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁷, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁸:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁹:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

77 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

78 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

79 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया जाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्वोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{80,81}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई।
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं।

निर्मल गुजरात अभियान⁸²

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸³" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸⁴

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

80 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

81 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

82 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

83 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspcc>

84 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ़ीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन सम्पूरको के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁵।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁸⁶

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

85 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

86 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸⁷

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁸

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

87 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

88 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁹

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:



आंध्र प्रदेश राज्य में⁹⁰

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

89 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

90 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹¹
क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4
ख. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
ग. जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5
घ. अपशिष्ट जल प्रबंधन 		    

91 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁹² मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. प्राकृतिक खेती को अपनाना</p> 		
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 		  











92 परिस्थितिकी - आपदा जोखिम में कमी

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन







सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ख. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1







हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹³
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9    
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9    

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच




सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप की संस्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण से राहत आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <p>लक्ष्य 6.4</p> <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी  
<p>ख. एग्रो-फोटोवोल्टिक</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण से राहत आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <p>लक्ष्य 6.4</p> <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी  

93 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है।

ग. सौर पंप 	<ul style="list-style-type: none"> पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 		एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
ङ. ऊर्जा दक्षता 		
च. सोलर स्ट्रीट लाइट 		



सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे को बेहतर बनाना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना 		
ग. ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों 		



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के उत्पादन में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन आजीविका के उन्नत विकल्प 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका के उन्नत विकल्प औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	   
<p>छ. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव</p> 		

कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से पनापुर कलां के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। पनापुर कलां के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर पनापुर कलां को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, पनापुर कलां जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही पनापुर कलां को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹⁴। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

पनापुर कलां के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹⁵ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

94 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और DoEFCC, उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्क्रीनिंग आकलन से की गई।

95 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्य प्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (HRVCA) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाउडमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » पनापुर कलां ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत पनापुर कलां

विकासखण्ड मियांगंज

जनपद: उन्नाव

I. गाँव की रूपरेखा		
	विवरण	संख्या(सूचना का स्रोत-समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	2
2	टोलों की संख्या	2
3	a कुल जनसंख्या	2973
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1552
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1421
	d विकलांगजन की जनसंख्या पु0 म0	10+4=14
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	1166
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	282
4	कुल परिवार की संख्या	596
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	327
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	279.430 हेक्टेयर
6 a	साक्षरता दर	95प्रतिशत
7 a	पक्का घरों की संख्या	437
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	159 (मिट्टी, ईंट, फूस, खपरैल एवं टीनशेड)

II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	346	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	Nill	
	अनुबंध खेती	Nill	
	दिहाड़ी मजदूर	200	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	50	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	Nill	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी, नौकरी आदि)	13	
	कुटीर उद्योग	05	
	कृषि	455	
	कला/हस्तकला	32	
	पशुपालन	515	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	03	
	व्यवसाय/उद्यम	04	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	85	
	अन्य	Nill	
10	पलायन	हाँ	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	33	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		Nil	
	निकट के शहर	लखनऊ, कानपुर	14	आजीविका
	राज्य के प्रमुख शहर	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, नोयडा, गाजियाबाद	11	आजीविका
	देश के प्रमुख महानगर	अहमदाबाद, मुंबई, नोयडा, दिल्ली, इन्दौर, सूरत	08	आजीविका
c	क्या पिछले वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?		नहीं	नहीं
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।		Nil	Nil

11	महिलाओ की स्थिति	
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत—महिला)	35 मजदूरी लघु सीमांत कृषक
b	खेती में कार्यरत महिला	250 कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	35
	किराए की भूमि/हुण्डा	Nil
	अनुबंध खेती	Nil
	दिहाड़ी मजदूर	55
	अन्य व्यवस्था	हस्तकला, कढ़ाई, जरदोजी 32



	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	भैंस पालन, मजदूरी, हस्तकलां	155
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)		5
	कुटीर उद्योग		3
	कृषि		185
	कला/हस्तकला		32
	पशुपालन		140
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	टेंट हाउस 3, छोटी दुकान (खोखा), 1 जनसुविधा केन्द्र	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)		06
	अन्य		Nil

12	स्वयं सहायता समूह 12				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	ओम श्री महिला	11	NIL	1,500 / -	हाँ
2	शारदा महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
3	गायत्री महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
4	शिव महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
5	भोले बाबा महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
6	जय भीम महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
7	राधा महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
8	परदा महिला	10	NIL	1,000 / -	हाँ
9	ममता रोशन	10	NIL	1,000 / -	हाँ
10	जय माता दी	10	NIL	1,000 / -	हाँ
11	जय बुद्ध	10	NIL	1,000 / -	हाँ
12	विकलांग स्वयं सहायता समूह	10	NIL	1,000 / -	हाँ

नोट:- 12 स्वयं सहायता समूहों में से 07 स्वयं सहायता समूह संचालित/कार्यरत हैं।

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०)					
	एफ०पी०ओ० का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला है?	प्रत्येक एफ०पी०ओ० में सदस्यों की संख्या	एफ०पी०ओ० से प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ / गतिविधियों का क्षेत्र
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				

14	अन्य समुदाय आधारित संगठन /					
	समाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति है।	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil	<input type="checkbox"/>		-	-	-
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं					
A	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भुगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
	मनरेगा	273	258	10,00,000 / -	-	पंचायत में कराये गये का
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	Nil	Nil	-	-	राशन वितरण
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	110	110		-	गैस कनेक्शन दिये गये
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री कुसुम योजना	Nil				

B	अन्य योजनाएं	Nil				
	ग्राम उज्ज्वला योजना	Nil				
	ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सत्र(21-22) 15 सत्र(22-23) 33स्वीकृत	15 14	1,000 / -	-	लाभार्थी का आवास पूर्ण
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	335	335			
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil				
	मौसम आधारित फसल बीमा	Nil				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	Nil	Nil			
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nil				
	किसान क्रेडिट कार्ड	287	287			
	स्वच्छ भारत मिशन	17 (21-22)		70 शौचालय 2,40,000 / -	6,00,000 / -	50 (22-23) स्वीकृत
	सौर सिंचाई पम्प योजना	Nil				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil				
	गोवर्धन योजना	Nil				
	जल पुर्नभरण योजना	Nil				



	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	2	1 बहुउद्देशीय पंचायत सचिवालय 1 विद्यालय में प्राथ० वि० अहमदपुर			
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil				
	अन्य (एक जिला- एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	Nil				
	उद्यमिता, सहायतित, योजनाएं आदि	3 लाई/चूरा	3 लाई/चूरा			
16	सक्रिय बैंक खाता धारकों को संख्या					530
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई. आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या					251

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केंद्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार /क्रय केंद्र का उपयोग होता है		यदि नहीं तो बाजार /केंद्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु०)	बिक्री हुई फसल (कु०)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि०मी०)
		हाँ	नहीं				
	Nil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)					
	प्रकार/ स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्य कारण {स्वास्थ्य (1),पहुँच/उपलब्धता –(2), आर्थिक समस्या–(3), अन्य– (4) उल्लेख करें}
a	प्राथमिक विद्यालय	300 वर्ग मी०	विद्यालय प्रा० वि० , अहमदपुर 60	5	बरसात व शीत लहर
b	जूंहाई० स्कूल	300 वर्ग मी०	कम्पोजिट पनापुर कलां 105	7	बरसात व शीत लहर
c	हाई० स्कूल	Nil	N.A.	N.A.	N.A.
d	अन्य संसाधन	Nil	N.A.	N.A.	N.A.

20 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)					
	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति	
			अच्छा	(1)
			खराब	(2)
			घटिया	(3)
			सबसे घटिया	(4)
	उन्नाव-हरदोई	01, S H- 38	12किलोमीटर सफीपुर	1
	उन्नाव-संडीला	01, S P C- MDR-31	04किलोमीटर रसूलाबाद	1

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	45.992 हेक्टेयर
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Nil
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil



23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभी की कितनी भूमि उपलब्ध है।	5.839 हेक्टेयर		
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	1.390 हेक्टेयर		
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हाँ	नहीं	आधारित क्षेत्रफल
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nil
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन- (उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Nil		
	अतिरिक्त सूचनाएं	Nil		
		Nil		

24	जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हाँ	नहीं
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	06 तालाब, 01 नहर, कुल 07	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	काफी समय से लगभग 20 वर्ष से	
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आसपास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हाँ	

25	जल आपूर्ति	
A	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल –(2) भूमिगत जल –(3) तालाब/झील –(4) अन्य – (5)	03 5 निजी बोरिंग
B	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	
C	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैंडपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कुंआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	5
D	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	Null
E	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	Null
F	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24x7 घंटे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	Null
G	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कुंआ (3 B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	(1) पनापुर कलां (2) अहमदपुर (3 A) पनापुर कलां (4) अहमदपुर (07 निजी बोरिंग)
H	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
I	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
J	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबन्धित गतिविधियों, उद्योग आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	संतोषजनक घटी Null

IV. जलवायु को धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
A	गर्मी के माह में देखा गया			
B	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	20 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	कभी-कभी बरसात		
27				
A	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
B	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	20 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	कभी-कभी बरसात		
28				
A	मानसून माह में महसूस किया गया			
B	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	12-15 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	देर से आता है, अनियमित रहता है		
29				
A	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	10-12 दिन		
D	अन्य सूचनाएं/जानकारी	समय से मानसून न आने से फसल प्रभावित		



30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया					जून
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुंए खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन <input checked="" type="checkbox"/>			कृषि स्तर पर प्रबन्धन निजी बोरिंग की संख्या बड़ी	
d	सूखे की आवृत्ति: सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि		कमी		कोई परिवर्तन
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव -2	Nil				
31 बाढ़						
a	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	अगस्त	सितम्बर	अगस्त	अगस्त	सितम्बर
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन <input checked="" type="checkbox"/>			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति: बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि		कमी		कोई परिवर्तन
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव -2	Nil				



32	भूस्खलन					
a	भूस्खलन की घटना Nil	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	Nil				
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति: भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन <input checked="" type="checkbox"/>	Nil 1	
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव -2	Nil				
33	ओलावृष्टि					
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input checked="" type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई सूक्ष्म	Nil	Nil	Nil	20 मार्च	Nil
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन कुछ नहीं करते हैं।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन कुछ नहीं करते हैं।	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति: ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input checked="" type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन <input type="checkbox"/>		
34	फसलों के कीट/बीमारी					
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022) <input checked="" type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input checked="" type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया	मार्च अगस्त	मार्च अगस्त	अगस्त	फरवरी	मार्च
b	किस प्रकार के टिड्डी/कीट/बीमारी को देखा गया है।	माहो, झुलसा, रस्ट, तनाछेदक, फलछेदक, धान में पीलापन	माहो, झुलसा, रस्ट, तनाछेदक, फलछेदक, धान में पीलापन	माहो, झुलसा, रस्ट, तनाछेदक, फलछेदक, धान में पीलापन	माहो, झुलसा, रस्ट, तनाछेदक, फलछेदक, धान में पीलापन	माहो, झुलसा, रस्ट, तनाछेदक, फलछेदक, धान में पीलापन
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया	दुकान से दवा खरीदकर फसल में डालते हैं।				



	गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)			
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति: कीट/बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन <input type="checkbox"/>
e	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	Nil		

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डार	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालीन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	चीनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें– धान/चावल	Nil
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	Nil

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	Nil
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	हाँ
	मोबाइल फोन/एप	Nil



	मौखिक	हाँ
	कृषि विज्ञान केंद्र/कृषि ज्ञान केंद्र	Null
	पशुपालन विभाग	Null
	उद्यान विभाग	Null
	अन्य परस्पर जनसंवाद	हाँ

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)

38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटना क्रम— गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओला वृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत ₹०)
	प्रथम वर्ष (2022)	1	धान	जलभराव	400	8,00,000 /—
	द्वितीय वर्ष (2021)	2	गेहूँ	गर्मी रोग	200	3,60,000 /—
	तृतीय वर्ष (2020)	2	गेहूँ	रोग गर्मी	250	4,20,000 /—
	चतुर्थ वर्ष (2019)	1	धान	वर्षा	350	5,60,000 /—
	पंचम वर्ष (2018)	2	गेहूँ	रोग गर्मी	280	4,76,000 /—
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हाँ	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि)	बड़े किसान				
	फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	सामान्य				

39						फसल पद्धति में बदलाव					
		सामान्य फसल		खरीफ		रबी		जायद/अन्य ऋतु			
a				धान		गेहूँ लाही/सरसों सरसों					
b		फसल का नाम		पारम्परिक बोआई का समय		विगत 5वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है।		अभी बोआई का समय		परिवर्तन के कारण	
		गेहूँ		अक्टूबर+ नवम्बर		हां		नवम्बर-दिसम्बर		समय पर वर्षा न होना	
		सरसों		सितम्बर		अक्टूबर		अक्टूबर		जलभराव के कारण निचले स्थान पर देर से हुई	
		धान		जून		हां		जुलाई		असमय वर्षा	
c		अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)		मूंगफली, शकरकन्द, बाजरा, ज्वार							
40						सिंचाई प्रणाली/पद्धति परिवर्तन					
a		फसल का नाम		वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3) वर्षा आधारित (4) पारम्परिक		वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)		पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3)		पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)	

		(5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)		वर्षा आधारित (4) पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	
	गेहूँ	3, 6 निजी बोरिंग	1,800 /- एकड़	3, 6 निजी बोरिंग	नहर बोरिंग 1,500 /-
	धान	3, 6 निजी बोरिंग	1,800 /- एकड़	3, 6 निजी बोरिंग	नहर बोरिंग 1,500 /-
					-
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	आधारित सिंचाई विधियां
		25	Nil	Nil	तालाब
c	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	Nil			

41 पशुपालन/पशुधन

a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी:-	2 मत्स्य पालन				
	डेयरी (1), मुर्गी पालन (2), मत्स्य पालन (3), सुअर पालन (4), मधु मक्खी पालन (5), अन्य- स्पष्ट करें (6),	180 निजी भैंस पालन				
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1), भैंस (2), अन्य (3),	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1), कमी (2), परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(3) बकरी	50	सर्दी	सर्दी	(2)
	द्वितीय वर्ष (2021)	(3) बकरी	110	शीतलहर	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	(3) बकरी	135	बरसात	गर्मी	(2)
	चतुर्थ वर्ष (2019)	(3) बकरी	60	शीतलहर	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष (2018)	(3) बकरी	70	शीतलहर	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				

	c	मुर्गी पालन पर प्रभाव Nill	पक्षी हानि मुर्गी (1), बत्ताख (2), अन्य (3), 01	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1), कमी(2), परिवर्तन नहीं (3)
		प्रथम वर्ष (2022)	Nill				
		द्वितीय वर्ष (2021)	Nill				
		तृतीय वर्ष (2020)	Nill				
		चतुर्थ वर्ष (2019)	Nill				
		पंचम वर्ष (2018)	Nill				
		अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nill				
	d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1), कमी(2), परिवर्तन नहीं(3)
		प्रथम वर्ष (2022)	Nill				
		द्वितीय वर्ष (2021)	Nill				
		तृतीय वर्ष (2020)	Nill				
		चतुर्थ वर्ष (2019)	Nill				
		पंचम वर्ष (2018)	Nill				
		अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nill				

V. कृषि व पशुपालन

12	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी	उर्वरक उपयोग	कीटनाशक उपयोग	खरपतवारनाशी
----	---	---	--------------	---------------	-------------

	फसल(अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	धान	गर्मी	18	DAP यूरिया	100किलो यूरिया, 30 किलो DA प्रति एकड़	1	प्यूराडान, कापर आक्सी प्यूराडान कराटे	200 ml प्रति एकड़	1	24D	250 ml प्रति एकड़	1
	गेहूँ	सर्दी	14	DAP यूरिया, पोटाश	100 किलो यूरिया, 50 किलो DAP प्रति एकड़	1	प्यूराडान, कराटे, (कीटनाशक) प्रति एकड़	200 ml	1	24D	250 ml प्रति एकड़	1
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?					
	Nil		<input checked="" type="checkbox"/>	Nil	Nil	Nil	Nil					

43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां				
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
Nil	Nil			
Nil	Nil			
Nil	Nil			
Nil	Nil			
Nil	Nil			
Nil	Nil			

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)			
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिचंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)



	Nil	-	-	-	-	-	-	-
	Nil	-	-	-	-	-	-	-
	Nil	-	-	-	-	-	-	-
	Nil	-	-	-	-	-	-	-
	Nil	-	-	-	-	-	-	-
	Nil	-	-	-	-	-	-	-

45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां

पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन	मोनोक लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुँच / अवसर	कृषि वानिकी पिछले 10 वर्षों में पहुँच / अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), प्रजाति सम्बन्धित (2), वन उन्मूलन (3) अन्य (4)- उल्लेख करें



				पशुआहार, खुले में चराई आदि)	
गाय (देशी नस्ल)	45			पोषण पूरक / खुले में चराई	4,700 / - प्रतिमाह
गाय (संकर नस्ल)	05			पशुआहार	6,000.00 / - प्रतिमाह
भैंस (देशी नस्ल)	475			पशुआहार	10,500 / - प्रतिमाह
भैंस (संकर नस्ल)	06			पशुआहार	12,000.00 / - प्रतिमाह
बकरी	700			खुले में चराई	6,800 / - प्रतिमाह
सुअर	35	पनापुर		खुले में चराई	8,000 / - प्रतिमाह
मुर्गी					-
मत्स्य			Nill		
अन्य					



47		जल की गुणवत्ता		(पेयजल या हैण्ड पाइप जल से आपूर्ति पस्विर)		हैण्डपाइप					
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला		बालू/ कीचड़	गन्ध			कृच्छ नहीं	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 हैण्ड	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर		सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन			अन्य, (कृपया उल्लेख करें)	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?								
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचकमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ऐसे ही फेंका जाता है, उपचार नहीं करते हैं।		

49	खुले में शौच मुक्त स्थिति								
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं						
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/> 162	<input type="checkbox"/>						
c	सामुदायिक शौचालय / इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/> 20परिवार	<input type="checkbox"/>						प्रमुख स्थान 1 पनापुर कला
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हां आंशिक उपयोग है।							



47		जल की गुणवत्ता		(पियजल या हैण्ड पाइप जल से आपूर्ति पस्विर)		हैण्डपाइप					
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला		बालू / कीचड़	गन्ध			कृच्छ नहीं	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 हैण्डपाइप	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Nil				Nil	Nil	Nil	कले वेसल फिल्ट्रेशन		
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर		सौर शुद्धीकरण				अन्य, (कृपया उल्लेख करें)	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?								
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ऐसे ही फेंका जाता है, उपचार नहीं करते हैं।		

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति

a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/> 162	<input type="checkbox"/>
c	सामुदायिक शौचालय / इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/> 20परिवार	<input type="checkbox"/> प्रमुख स्थान 1 पनापुर कला
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हां आंशिक उपयोग है।	

51 स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा				
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हाँ	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	उप स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	280 वर्गफिट
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

52 रोग/बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	42 (मलेरिया)	23	15	04	आशा पैरामेडिकल डाक्टर	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मवई पीएचसी मियांगंज सीएचसी
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	109 (डायरिया)	67	32	10	उपरोक्त	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मवई पीएचसी मियांगंज सीएचसी
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	36	12	05	19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मवई पीएचसी मियांगंज सीएचसी
d	कुपोषण	5	5	0	0	आंगनवाड़ी / आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मवई पीएचसी मियांगंज सीएचसी

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	450
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	135
	ए0सी0	Null
	एयर कुलर	85
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	50

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	
	विद्युत कटौती नहीं	
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	6-7
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	Null

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	—
	सौर उर्जा	25
	इमरजेंसी लाइट	04
	इन्वर्टर	20
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	Null

57	नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत
-----------	--------------------------------------

a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	44	100-100 KW
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	01	1,200 KW
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
	सौर स्ट्रीट लाईट	01	100 KW देव स्थान पर
	बायोगैस	Nil	Nil
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा / मिनी ग्रीड	Nil	Nil
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं / कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	Nil	Nil

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा / महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले / जलौनी लकड़ी)	538	
	बायोगैस	Nil	200
	एलपीजी गैस	205	14कि.ग्रा.
	विद्युत	08हीटर	लगभग 500यूनिट
	सौर उर्जा	Nil	
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)		Nil

59	वाहन की संख्या			
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप / बोलेरो	30	डीजल	60 किमी
b	कार	12	डीजल एवं पेट्रोल	25 किमी
c	दो पहिया वाहन	250	पेट्रोल	50 किमी
d	विद्युत चालित वाहन	Nil	Nil	Nil
e	आटो	2	डीजल	70 किमी
f	ई-रिक्शा	5	इले0	40 किमी
g	अन्य	Nil	Nil	Nil

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	07	डीजल	25किमी
b	कम्बाईन हारवेस्टर	Nil	Nil	Nil
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	Nil		

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)

	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	Nil	Nil									
b	Nil	Nil									

62 औद्योगिक इकाई

उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
Nil			
Nil			

अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

Draft



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पनापुर कलां/अहमदपुर की कार्य योजना

ग्राम पंचायत
पनापुर कलां
विकासखण्ड मियांगंज
जनपद उन्नाव



2023-24



पृष्ठभूमि इतिहास

गांव की 70 वर्ष बुजुर्ग ने बताया कि इस गांव को पन्नालाल जमींदार ने बसाया था, जो चन्देल वंश से थे। यहाँ तक उनकी जमींदारी थी, जिनका कोठार बीच गांव में था। जहाँ उनके कारिंदे रुकते थे और लगान आदि वसूल करते थे। वर्तमान में उस परिवार का कोई सदस्य नहीं है।

अहमदपुर में एक पुराना कोठार था। जहाँ एक 70 वर्षीय महिला राजकुमारी द्वारा बताया गया कि मेरे पति जंगबहादुर सिंह थे, जो दो भाई थे। जिनके नाम क्रमशः जंग बहादुर सिंह व भारत सिंह थे। जंग बहादुर के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम हरिश्चन्द्र, फूलचन्द्र व रामदुलारे था। रामदुलारे मानसिक विकसित थे। हरिश्चन्द्र की शादी नहीं हुई थी, रामदुलारे की भी विकलांगता के कारण शादी नहीं हुई थी।

फूलचन्द्र बहुत ही भगवान भक्त थे, जो हनुमान जी के उपासक थे। उनका ब्याह राजकुमारी सिंह के साथ हुआ। जिनके कोई सन्तान नहीं हुई। राजकुमारी ने अपनी बहन को अपनी देखभाल हेतु अहमदपुर में बसा लिया। राजकुमारी सिंह आज भी जीवित हैं। वे बहुत ही शिक्षित हैं। फूलचन्द्र के अनुसार बियाबांन जंगल में हनुमान जी की कृपा से नगरी बस गयी।

ग्राम पंचायत पनापुर कलां
विकासखण्ड मियांगंज
जनपद उन्नाव

मानव संसाधन	
राजस्व गांव- 2	1 पनापुर कलां 2 अहमदपुर
ग्राम प्रधान:-	गुड्डू राठौर, मो०नं०- 9305555038
ग्राम पंचायत सचिव:-	वेद प्रकाश वर्मा, मो०नं०- 945849309
पंचायत मित्र:-	बबलू , मो०नं०- 9454088279
पंचायत मित्र सहा०:-	विवेक कुमार, मो०नं०- 7071314718
लेखपाल:-	रघुराज पाल, मो०नं०- 9445110809
प्रधानाध्यापक:- पनापुर कलां	धर्मवीर प्रताप सिंह, मो०नं०- 9450770782
प्रधानाध्यापक:- अहमदपुर-	सुनील कुमार, मो०नं०- 6306063900
आंगनवाड़ी- पनापुर	सरयूदेवी, मो०नं०- 9918975744
आंगनवाड़ी- अहमदपुर	प्रकाशनी देवी, मो०नं०- 7607176700
आशा	1मंजू देवी, पनापुर, मो०नं०- 9219494314 2 मंजू देवी, अहमदपुर, मो०नं०- 78397516
समूह सखी- बैंक सखी	ओम श्री मो०नं०- 8887787877





खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता— प्रवृत्ति/परिवर्तन/ मुख्य चुनौती एवं तनाव

ग्राम पंचायत पनापुर कलां में सभी मौसम जाड़ा, गर्मी व बरसात का प्रभाव रहता है। 15–20 वर्ष पहले साल— अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर व जनवरी तथा पूरी फरवरी तक अच्छा जाड़ा (सर्दी) होता था। किन्तु अब जलवायु परिवर्तन होने के कारण नवम्बर से आधी फरवरी तक ही जाड़ा होता है। पहले बरसात जून के दूसरे सप्ताह से शुरुआत होती थी। अब उसका कोई समय नहीं है, कभी जुलाई या अगस्त नवम्बर तक होती है। वह भी कम होती है, गर्मी 20–25 फरवरी से जून तक रहती है। इन सभी चक्रानुक्रम से फसल चक्र, उत्पाद एवं जीवन भी प्रभावित होता जा रहा है।

जोखिम

फसल उत्पादों में कमी तथा मेहनत व लागत ज्यादा करनी पड़ती है। सिंचाई संसाधन भी ज्यादा जुटाने पड़ते हैं। अच्छी पैदावार करने हेतु संसाधनों पर अधिक व्यय करने के बाद भी फसल के खराब होने की संभावना बनी रहती है।

नाजुकता

मौसम परिवर्तन के कारण जलस्तर में कमी, सिंचाई हेतु निजी ट्यूबेल (निजी बोरिंग) में वाटरलेवल कम होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में नहर व तालाब है। परन्तु नहर में समय से पानी नहीं आता है। बरसात न होने / बहुत कम बरसात होने के कारण तालाबों में जल संभरण भी नहीं हो पाता है, जिससे कृषि फसलें प्रभावित होती हैं।

क्षमता विश्लेषण

प्रायः सभी लोगों के पास सिंचाई के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जिससे ज्यादातर कृषि उपज प्रभावित होती है, जो आजीविका का मुख्य स्रोत है। जलवायु परिवर्तन एक आपदा, खतरा, जोखिम में अपेक्षित सूचनाओं को ग्रामीण लोक आधारित मूल्यांकन किया गया।

गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान एवं प्राथमीकरण

समुदाय के साथ आपदाओं के विषय में विस्तार से विचार विमर्श किया गया, जिन आपदाओं का प्रभाव सामुदायिक संसाधनों पर पड़ा है। यह प्रभाव दैनिक दिनचर्या मानव, पशु, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ-सफाई, पशु, चारा, सड़क/सम्पर्क मार्ग आदि प्रभावित होते हैं। तुलनात्मक रैंडकिंग को देखते हुए प्राथमिकीकरण किया गया। जिसमें सूखा एवं जल भराव से आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

आपदा का इतिहास एवं हानियाँ

समुदाय के साथ आपदाओं की चर्चा, विचार विमर्श गाँव की बैठकों व जनसंपर्क के दौरान किया गया, जिनका प्रभाव, संसाधनों पर पड़ा है। जलभराव की समस्या का अहमदपुर गाँव में ज्यादा प्रभाव है। यहाँ पर 114.580 हेक्टर कुल जमीन है, परन्तु 18.675 में जल भराव बना रहता है। वहीं गाँव में 7.426 बंजर/ऊसर भूमि है। जल भराव से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तथा जल जनित बीमारियों का प्रभाव शिशुओं व अपवर्धित समुदाय पर ज्यादा पड़ता है तथा मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया व डेंगू की सम्भावनाएं बढ़ जाती है।

सुझाव

गाँव से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जल भराव की स्थिति बनी रहती है। उपस्थित समुदाय के लोगों ने कहा कि गाँव अहमदपुर में 8 मी० लम्बाई की एक पुलिया हेतु 3 हयूम पाइप की आवश्यकता है, तथा नालों का सिल्ट निकालना भी जरूरी होगा। जिससे जलभराव से छुटकारा मिल सकता है। इससे कृषि उपज बढ़ जायेगी तथा जल भराव की आपदा से निजात मिलेगी तथा जल जनित बीमारियों में कमी आयेगी।

आपदा मानचित्र:-

आपदा का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग०	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०
जलभराव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आधी-तूफान												
ओला-वृष्टि												

गाँव अहमदपुर में जल भराव एक प्रमुख विशेष आपदा है, जो अहमदपुर में लगभग 8 महीने तक रहता है। इसके अलावा निकटस्थ दूसरे 25 गाँव में अहमदपुर, ताजपुर, शिवसिंहखेड़ा, शिरसकन्हर, सिरसचेरी, जमलापुर, दुर्गाखेड़ा, सिद्धनाथ, नई बस्ती आदि गाँव को भी प्रभावित करती है, जिससे कृषि कार्य एवं मजदूरी पूरी तरह प्रभावित रहती है। माह मई-जून में अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः जून-जुलाई में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ने की स्थिति पिछले कई वर्षों से बनी रहती है। दूरगामी प्रभाव की बात करें तो सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न, आजीविका, कृषि, उत्पाद एवं पशुपालन के चारे का संकट पूरे वर्ष झेलना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन जनित आपदा/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन:-

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव की विस्तृत जानकारी सभी वर्गों की महिला, पुरुष, दलित, पिछड़े एवं अपवंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये। आपदाओं का ग्राम पंचायत पनापुर कलां व अहमदपुर के पर्यावरण, बुनियादी आधारभूत ढांचे के साथ-साथ आजीविका एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जल जमाव एवं सूखा आदि आपदाओं के जरिए ग्राम पंचायत के समुदाय की विभिन्न प्रकार से जोखिम की संभावना बढ़ रही हैं। गांव वालों का कहना है कि जोखिम की समस्या से प्रतिवर्ष तरह तरह से नुकसान सहना पड़ रहा है।

खतरा एवं जोखिम विप्लेषण से प्राप्त सूचनाएं:-

क्रम	आसन्न / आपदा खतरें	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	जल जमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना, जलजनित बीमारियों का जोखिम	अहमदपुर	38	38 उथले निजी हैण्डपंपों का जलस्तर दूषित होना
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बहकर फ़ैल जाना	पूरा गांव	522 घर	सड़क, खडन्जा, इन्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	जलजनित बीमारियों (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना	पूरा गांव	522 घर	162 लोग प्रभावित हुए, जिन्हे स्थानीय आधार पर उपचार कराया गया।
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होना।	पूरा गांव	522 घर	सड़क, विद्यालय भवन एवं परिसर में सीपेज होना
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चें, विकलांग, महिलाओं के गिर जाना, घायल हो जाना	पूरा गांव	200 वृद्ध, 180 बच्चें, 22 गर्भवती महिलाएं 14 विकलांगजन	सड़क टूट जाना, आवागमन बाधित
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बोआई में विलम्ब, बीमारियों, कीट का प्रकोप	1540	300 खेतिहर घर	पूरे अहमदपुर गांव में जलमग्न
		उद्यान/फल सब्जी उत्पादन	पेड़-पौधे एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	208	38	1,200 पेड़-पौधें 30-35 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशु उत्पाद का कम होना बीमारी आदि का प्रकोप	430	80 घर	गाय, भैंस व बकरी पालन

		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	435 जॉबकार्ड धारक	435 घर	—
		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	440 घर	6 एकड़ जलनिकायों में गंदा पानी भरना
		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार, घासपात की अधिकता कीट-पतंगों का प्रकोप	190	36	22 एकड़ खुले में खरपतवार, घासपात की अधिकता
2	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी, संकट	345	68	8 इंडियामार्क हैंडपाइप एवं 36 सामान्य घरेलू नलों का जलस्तर नीचे चले जाना
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	1710	338	130 हेक्टेयर खेती
		उद्यान/फल सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत व समय अधिक	47	08	1,200 पेंड पौधे, सब्जी आदि
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का होना, उत्पादन कम होना	गाय, भैंस, बकरी पालकों को पेयजल संकट	60 घर	चारागाह
3	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना, स्वास्थ्य खराब होना, टीकाकरण ने बाधा	310	216 बुजुर्ग एवं 96 बच्चे	स्वास्थ्य सेवाएं आदि बाधित होना, पेयजल संकट, जानवरों का चारा का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित	160	96	शिक्षा बाधित
4	शीत लहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना	22 बुजुर्ग एवं 180 बच्चे	34	शीत लहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	224	38	खेत
		पशुपालन	पशुओं की क्षति एवं खेतों में फसल का नुकसान	438	80 पशुपालक घर	110 बकरी



आजीविका के संसाधनों पर आपदा का प्रभाव:-

इस ग्राम सभा पनापुर कलां एवं मजरा अहमदपुर में आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन ही हैं। जलभराव के दौरान आजीविका के लिए लोग राज्य एवं देश के प्रमुख शहरों कानपुर, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, गुडगांव, नोएडा, आदि में 6-7 महीने के लिये पलायन करते हैं।

नाजुकता विश्लेषण:-

आपदाओं का बार बार सामना करने से प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। ग्राम पंचायत में समुदाय आधारित नाजुकता जानना अति आवश्यक, इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों, आशा, आंगनवाड़ी, लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सदस्यों, किशोरियों, युवकों सहित महिलाओं की मदद से वर्ण जाति के सभी वर्ग के लोगों से ग्राम पंचायत प्रभावित होने से नाजुकता का जमीनी स्तर पर सूक्ष्म अध्ययन कर जानकारीयों प्राप्त की गयी।

जलभराव:-

ग्रा० पं० पनापुर कलां एवं मजरा अहमदपुर में सूखा एवं जल भराव मुख्य समस्या है। पनापुर कलां में गांव के बीच में ढाई एकड़ (01 हैक्टर) का लाला तालाब है, जिसमें पानी भरने एवं निकास न होने के कारण जलकुम्भी खरपतवार के सड़ने आदि से समुदाय को बीमारियों का सामना करना पड़ता है तथा इसी तालाब में गाँव के 16 घरों का प्रदूषित जल भी इकट्ठा होता है। तालाब गाद से पटा हुआ है। गाँव पनापुर के मजरा अहमदपुर में 18.675 हैक्टर तालाब जो गांव से लगा हुआ है, जो गाद एवं जलकुम्भी से पटा पड़ा है, जिसका पट्टा रामबरन के नाम है, जो कभी भी सफाई आदि नहीं कराते हैं, केवल जो मछली उत्पादन तालाब से प्राप्त करते हैं। उनसे गांव के लोग परेशान रहते हैं। जिनका पट्टा तालाब का है, वह बाहर के रहने वाले लगभग 5 किमी दूर सवलगढ़ी के रहने वाले कहा जाता है कि वह काफी दबंग भी है और गाँव की आजीविका और स्थानीय परेशानियों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं।

समुदाय पर जल भराव का प्रभाव:—



अहमदपुर गाँव में तीन तालाब बरसात के दौरान एक में मिल जाते हैं, जो एक झील में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पानी का समुचित निकास न होने के कारण फसल हानि, धन हानि, पशुहानि व आजीविका का संकट होना स्वाभाविक व सुनिश्चित हो जाता है। इस जल भराव से अहमदपुर के साथ ताजपुर, शिवसिंहखेड़ा, सिरस कनहर, सिरशचेरी, जमलापुर, दुर्गाखेड़ा, सिद्धनाथ, एवं नई बस्ती आदि ग्राम प्रभावित होते हैं। इस जल भराव से लगभग 4,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है।

1. जलभराव से घर की दीवारों में सीलन लगातार रहती है। घरों की दीवारें, फर्श आदि चटक जाती है।
2. तालाब में जलभराव के कारण जलकुम्भी, खर-पतवार एवं अन्य गंदगी से गांव में पेंचिस, टाइफाइड, डायरिया, डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर जल जनित बीमारियों से प्रभावित होने की बनी रहती है।
3. अहमदपुर गांव मुख्य सम्पर्क सड़क सफीपुर –मियांगंज से 800 मीटर की दूरी पर है। बरसात के दिनों में पानी सड़क पर गांव तक भर जाता है तथा पूरा क्षेत्र औसतन तीन महीने (जुलाई-सित०) जलमग्न बना रहता है।
4. आउटफाल ड्रेन से गांव का पानी तालाब की तरफ जाना होता है, परन्तु आउटफाल ड्रेन में गांव के लोगों द्वारा कूड़ा डालकर बाधित कर दिया जाता है। जिसकी सफाई समय से नहीं हो पाती है।
5. सफीपुर से मियांगंज सम्पर्क मार्ग से अहमदपुर का डामर रोड है। परन्तु वर्षा मानसून आने एवं बरसात के समय जल भराव के कारण अहमदपुर जाने वाले मार्ग के ऊपर से पानी बहने लगता है। जिससे रोड क्षतिग्रस्त हो जाती है। सड़क डेढ़ फिट ऊँची कराने की आवश्यकता है।

सूखा:—

समुदाय के साथ गहन चर्चा में निष्कर्ष निकला कि गांव में गर्मी के मौसम में जल्दी गर्मी शुरू हो जाती है। जिसका धान एवं गेहू की फसल पर क्रमशः (जून-जुलाई) तथा रबी की फसल (20 फरवरी से मार्च-अप्रैल तक) फसलें प्रभावित होती है और जिस कारण सिंचाई के संसाधन होने के बावजूद लागत अधिक और उत्पादन मेहनत के अनुसार नहीं मिल पाता है, जिससे काफी निराशा रहती है।



कारण

- कुओं का विलुप्त होना।
- मौसमी बरसात में कमी।
- समय से बरसात नहीं होना।
- खेतों की मेंडबन्दी न होने से खेत की उर्वरकता बरसात में बह जाती है तथा खेत की नमी जल्दी विलुप्त हो जाती है।
- नहरों में समय से पानी न आना।
- निजी संसाधनों की कमी।
- सिंचाई के संसाधनों की कमी।
- डीजल आदि ईंधन की दरों में निरन्तर बढ़ोतरी।
- वृक्षारोपण की कमी।
- वाटर लेबल का निरन्तर नीचे गिरना।
- उत्पादन मूल्य में निरन्तर गिरावट।

खेतों में केवल रासायनिक खादों का प्रयोग

रासायनिक उर्वरक, खरपतवार नाशक, फंफूदी नाशक एवं अन्य रासायनिक कीट नाशक दवाओं का अनियंत्रित तरीके से खेती में प्रयोग करने से खाद्य उत्पादकता पर दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

प्रभाव:—

- पेयजल प्रभावित हुआ
- रबी व खरीफ की फसल की ज्यादाबार सिंचाई करना तथा कृषि उत्पाद में लागत अधिक होने से लाभ का कम प्राप्त होना।
- फसल उत्पादन में लगातार कमी होना।
- रासायनिक उर्वरकों के गैर सामजस्य पूर्ण इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे खेत व उससे उत्पादित खाद्य पदार्थ का प्रदूषित होना।
- घरेलू जानवरों को चारे का संकट बढ़ना।

लू

सूखे के समय गर्म हवाएं तेज होने से लू की संभावना बढ़ती है। जिससे जायद की मौसमी फसल के साथ-साथ आम की फसल भी प्रभावित हो जाती है। जिससे आम का उत्पादन कम हो जाता है। लू से समुदाय का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। जिसमें बच्चे, बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित होते हैं।

प्रभाव

समुदाय के लोगों ने बताया कि यहाँ लू काफी समय से बहुत कम अवधि अर्थात् 15 मई से 31 मई तक ही चलती है।

शीतलहर

शीतलहर की यह समस्या सर्दी के मौसम में दिसम्बर- जनवरी तक बनी रहती है। परन्तु 15 दिसम्बर एवं 20 जनवरी तक विकराल रूप धारण करती है। जिससे पशुपालन, बच्चे, बुजुर्ग एवं सामान्य जनमानस काफी प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खास कर सर्दी जुकाम, कोल्ड डायरिया, हड्डियों-जोड़ों में दर्द आदि। पशुधन में मृत्युदर बढ़ जाती है खासकर (मुर्गी, बकरी, आदि)। सांस सम्बन्धी बीमारियों में वृद्धि से कार्य को करने की क्षमता कम हो जाती नियमित काम से कारण आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फसलें प्रभावित होती है, जिससे झुलसा, माहूँ आदि

प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जिससे सब्जी व तिलहन की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में कमी हो जाती है।

समुदाय की ढांचागत एवं व्यवहारगत संरचना में कमी:-



1. गाँव में आपसी ब्यवहारिक तालमेल का अभाव।
2. पशुपालन नुकसान प्रबन्धन हेतु पशुधन बीमा की जानकारी का अभाव।
3. गाँव में सरकारी / ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही सुविधाओं, परिसम्पत्तियों का दुरुप्रयोग उसकी देखभाल स्थानीय आधार पर न करना।
4. गाँव में जल निकासी प्रबन्धन तंत्र का बाधित रहना।
5. गाँव के लोगों द्वारा जैविक एवं गोबर की खाद का अवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करना।
6. गाँव में सड़क/रास्तों के किनारों पर गोबर-कूड़ा डालना तथा कचरा-प्रबन्धन की कमी।
7. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की व्यापकता की आवश्यकता।
8. रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों खरपतवारनाशकों का अन्धाधुंध प्रयोग।
9. गाँव में पशुपालन की प्रचुरता के बावजूद गोबर/जैविक खाद का कोई बेहतर उपयोग न करना तथा रास्तों व सड़क किनारे ढेर लगाना।
10. शौचालयों के प्रयोग का अनियमितीकरण।
11. पेयजल/हैण्डपाइप में आयरन की मानक से अधिक मात्रा का होना जिससे बीमारियों की बहुलता (लीवर व हड्डी जोड़ों में दर्द) आदि।

क्षमता विश्लेषण



आपदाओं के संदर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि का ध्यान में रखते हुए गांव एवं समुदाय कितना सक्षम है, इसके संदर्भ में वार्ता कर क्षमता का आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों की जानकारी आपस में लोगों को देने से लोग समुदाय संवेदित होता है। ग्रामीणों में जानकारी का बड़ा अभाव महसूस किया गया है। आजकल लोगों में परस्पर संवाद का अभाव रहता है। जानकारी को दूसरों के साथ परस्पर सांझा नहीं करते हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों की जानकारी आपस में देने से प्रभावित होते हैं। जानकारी का बड़ा अभाव महसूस किया गया है। लोग स्वयं का मतलब रखते, परन्तु जानकारी दूसरों के साथ परस्पर सांझा नहीं करते हैं।

संगठन के तौर पर 12 स्वयं सहायता समूह है, जो बैंक द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त कर आयजनक गतिविधि कर रहे है। लेकिन 6 समूह ही सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

आवश्यक हेल्पलाइन नम्बर			
क्र.सं.	हेल्पलाइन / टोल फ्री	सम्बन्धित विभाग	प्राप्त होने वाली सेवाएँ
1	101	अग्निशमन	अग्नि-काण्ड की घटना होने पर
2	102	चिकित्सा सेवा	एम्बुलेंस सेवा
3	108	"	"
4	112	पुलिस विभाग	पुलिस सहायता एवं किसी प्रकार की घटना व दुर्घटना होने पर
5	181 आपकी सखी	महिला कल्याण विभाग	महिलाओं के संग घरेलू हिंसा आदि होने पर
6	1090 महिला हेल्पलाइन	पुलिस विभाग	महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में
7	1098 यादल हेल्पलाइन	जिला कल्याण विभाग	बच्चों से सम्बन्धित हिंसा/ उत्पीड़न हेतु
8	1912	विद्युत विभाग	विद्युत से सम्बन्धित समस्या हेतु
9	18001801551	कृषि विभाग	कृषि विभाग से सम्बन्धित समस्या/जानकारी हेतु
10	COVID-19 हेल्पलाइन 18001805145 011-239780745	चिकित्सा सेवा U.P. HELPLINE CENTRAL HELPLINE	COVID-19 कोरोना वायरस से सम्बन्धित इलाज व बचाव की जानकारी हेतु

ग्रा.पं.- फतेहपुर कलाँ, वि.सं.- मियाँगंज, उन्नाव





रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	स्थिति	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गांव से दूरी
प्राथमिक विद्यालय	अहमदपुर पनापुर कलां	02	श्री गुड्डु प्रधान 9794618938	0.3 किमी
पूर्व माध्यमिक विद्यालय (प्राइवेटविद्यालय)	NIL	011		NA
निजी इंग्लिश मीडियम विद्यालय	NIL	010		NA
पंचायत भवन	अहमदपुर	01		800 मी
सरकारी राशन कार्ड की दुकान	पनापुर	01	श्रीमती दुर्गादेवी	0.4 किमी
धाना	आसीवन	01	श्री धर्मेन्द्र मिश्रा 8382807025	05 किमी
कचेहरी	उन्नाव	01		40 किमी
जिला चिकित्सालय, एंबुलेस व्यवस्था	उन्नाव	01	102, 108	40 किमी
विकासखण्ड कार्यालय	मियागंज	01		06 किमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	मियागंज	01		06 किमी
तहसील	हसनगंज	01		22 किमी
आपदा विभाग	उन्नाव	01		40 किमी
पोस्ट आफिस अहमदपुर	आसीवन	01		04 किमी
पोस्ट आफिस पनापुर कलां	लगलेसेरा	01		01 किमी
डिग्री कालेज	कमलापुर	01		06 किमी
फायर स्टेशन	बृजपालपुर	01	101	06 किमी
बिजली विभाग	मियागंज	01		06 किमी
बस स्टेशन	सफीपुर	01		10 किमी
रेलवे स्टेशन	सफीपुर	01		12 किमी
खाद, बीज, दवा केंद्र	मियागंज/ ताजपुर	01 01		06 किमी 06 किमी
बाजार	पनापुर-बृह० रविवार	01		0.150 किमी
बैंक	मवई ब्रहमान (सफीपुर)	01		5.5 किमी

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन	संख्या	विवरण/नाम/संपर्क संख्या	दूरी
पर्यावरणीय संसाधन				
1	तालाब	06	10.065 हेक्टर	0.2 किमी
2	कुंआ	7	पट्टे हुए हैं	0.2 किमी
3	नाला	01	अहमदपुर 10 किमी	0.4 किमी
4	बाग	03	भूमिहारों के पास	0.3 किमी
5	नदी	01	भदनी नदी	25 किमी
6	कृषिगत क्षेत्र 180.967 हेक्टर			
7	खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि	13.92 हेक्टर	1.25 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। युवक मंगल दल 0.25 एकड़	0.3 किमी



मानव संसाधन

क्रमांक	संसाधन	संख्या	विवरण/नाम/संपर्क संख्या	दूरी
1	ग्राम प्रधान	01	गुड्डू राठौर 9305555038	00 किमी
2	शिक्षक-शिक्षिका	02	प्रधानाध्यापक पनापुर कलां धर्मवीर प्रताप सिंह 9450770782 प्रधानाध्यापक अहमदपुर सुनील कुमार 6306063900	
3	आंगनवाड़ी	01+01	पनापुर कलां सरयू देवी 9918975744 अहमदपुर प्रकाशिनी देवी 7607176700	
4	आशाबहू	02	पनापुर मंजू देवी 9219494314 अहमदपुर मंजू देवी 78397516	0.3 किमी
5	एएनएम	01	गीता वर्मा 9580657916	
6	पैरा मेडिकल चिकित्सक	03	राम बक्श गुरु चरण कल्लन	0.3 किमी
7	वैद्य हड्डी साज	03	रामकुमार, सूर्यपाल, करुणाशंकर,	पनापुर 04किमी

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुंच में है कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे-

क्रमांक	मद	वर्ष 2022-23
01	15वाँ वित्त आयोग -पंचायत भवन की मरम्मत -समर्सिबल पम्प लगाना -सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना -सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाना -दो विद्यालयों में मरम्मत कायाकल्प -2छत जल संचयन केन्द्र स्थापित करना (1 बहु उद्देश्य, पंचायत भवन, 2 प्राथमिक पाठशाला अहमदपुर में -पोषण वाटिका स्थापित की गयी	12,25,000 / -
02	एंटी लार्वा छिड़काव	- 03 बार 18,000 / -



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत पनापुर कलां की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम अवधारणा के तहत कार्ययोजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है।

क्र.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा – साफ सफाई एवं स्वच्छता	कचरे से पटे 10 कुंए की सफाई, सुरक्षा एवं मरम्मत का कार्य	08 अहमदपुर 02 पनापुर	पनापुर में सामुदायिक भवन व सतीश चन्द्र के घर के सामने अहमदपुर – राजू सिंह, राम गुलाम, उमाशंकर, नान्हु, गंगाराम, मंशाराम के घर के सामने	08 लाख रुपए	02 माह गर्मी के मौसम में	15वां वित्त आयोग
2		कूड़ा पात्र रखवाना	कूड़ा निस्तारण हेतु 20 कूड़ा पात्र रखवाना	12 अहमदपुर 08 पनापुर	40 हजार रुपए	15 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
3		शौचालय निर्माण	महिला/पुरुष एवं विकलांग हेतु शौचालय निर्माण	06 अहमदपुर 14 पनापुर	20 लाख रुपए	06 माह	15वां वित्त आयोग
4		जैविक/अजैविक कूड़ा प्रबंधन केन्द्र	6 स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्य ग्राम पंचायत की जमीन में संरचना का निर्माण	पनापुर गांव के पास	04 लाख रुपए	03 माह	15वां वित्त आयोग
5		नाडेप जैविक खाद का पिट निर्माण	मृदा को उर्वरता बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 30 वर्मी कम्पोस्ट एवं 15 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	ग्राम पंचायत की नजूल भूमि	04 लाख 50 हजार रुपए	06 माह	15वां वित्त आयोग/ मनरेगा/ कृषि विभाग
6		हैण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 10 हैण्डपम्पों को रिबोर कराना	प्रेम, राजेश, श्याम बिहारी, राकेश, सामुदायिक भवन, फूलचन्द्र, अच्छेलाल, रमेश, देवीस्थान, मुन्ना	1.20लाख रुपए	3 माह	15वां वित्त आयोग
7	सेक्टर 1- मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा – साफ सफाई एवं स्वच्छता	पानी सफाई हेतु ट्रीटमेन्ट केन्द्र	गंदे पानी की सफाई हेतु 7 ट्रीटमेन्ट केन्द्र	04अहमदपुर- टेकराम के दरवाजे के आगे, लालजीत, सोहनलाल, उमाशंकर 03 पनापुर कलां-माइनर तालाब, छोटे बाबू के तालाब, सामुदायिक भवन	18 लाख रुपए	06 माह	15वां वित्त आयोग



8		जल निकासी हेतु मोटे साइफन को लगवाना	गंदा पानी गाँव से बाहर निकास हेतु मोटे साइफन लगवाना	पनापुर के लालवाली से नहर के नीचे से साइफन निर्माण बन क्षेत्र तक	23 लाख रुपए	01 माह	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
9		गंदे पानी के निकासी हेतु संरचना	जगदीश के घर से मौलवीखेड़ा सरहद तक 400 मीटर	पनापुर	50 लाख रुपए	02 माह बरसात के बाद	15वां वित्त आयोग
10		पुलिया निर्माण	अहमदपुर गऊघाट नाले पर (ड्यूम पाइप लगाकर)	अहमदपुर	30 लाख रुपए	06 माह	15वां वित्त आयोग
11		ड्रेन सफाई	अहमदपुर से मुंशीगंज 10 किमी पुलिया तक	अहमदपुर	08 लाख रुपए	01 वर्ष	मनरेगा
12		सड़क निकासी	अहमदपुर से सहजनपुर मोड़ तक 01किमी	अहमदपुर	50 लाख रुपए	01 वर्ष	15वां वित्त आयोग
13	सेक्टर 2- बुनियादी/ आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	आगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	02 आगनवाड़ी केन्द्र के नवीन भवन का निर्माण	अहमदपुर पनापुर कलां	15लाख रुपए	06 माह	15वां वित्त आयोग
14		सोखता गड्ढा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 30 सोखता गड्ढा	पनापुर कलां 20 अहमदपुर 10	10 लाख 50 हजार रुपए	01 माह	15वां वित्त आयोग एवं / मनरेगा
15		तालाब संरक्षण	1.गाद निकालना 26.10 हेक्टर 2.वृक्षारोपण कार्य खाई पर	1 पनापुर कलां- लाला तालाब, बेलहा तालाब, 2 अहमदपुर- राम नारायण के खेत के पास तालाब, पटेल तालाब, नौनी तालाब, बडी गडिया, राम मिलन के खेत की तरफ का तालाब	12लाख रुपए	03 माह जून अगस्त	15वां वित्त आयोग एवं / मनरेगा / वनविभाग
16		तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण (0.26 एकड़)	अहमदपुर	10लाख रुपए	03 माह जून अगस्त	15वां वित्त आयोग एवं / मनरेगा / वनविभाग
17		सड़क का उच्चीकरण	सफीपुर मियांगंज मार्ग में अहमदपुर गांव तक 800 मीटर व 0.45 मीटर ऊंची	अहमदपुर	01करोड़ 70 लाख रुपए	2.5 माह बरसात के बाद	15वां वित्त आयोग एवं / मनरेगा
18		मिनी स्टेडियम का निर्माण	बच्चों व युवकों के खेलकूद हेतु ग्राम पंचायत की भूमि पर खेलकूद भवन निर्माण	पनापुर में ग्राम पंचायत की नूजुल भूमि पर निर्माण खेल कूद हेतु	50लाख रुपए	डेढ़ वर्ष में	15वां वित्त आयोग



19	सेक्टर 2-बुनियादी / आधारभूत सरचना एवं पर्यावरण	भिड़बन्दी एवं वृक्षारोपण कार्य	1000 छायादार फलदार एवं टिम्बरवाले वृक्षों का रोपण, जाली के साथ पौधों को सुरक्षा	सभी 7 तालाब, अमृत सरोवर, एवं खेतों के आसपास	30 लाख रूपए	03 माह जून - अगस्त	15वां वित्त आयोग एवं / मनरेगा / वन विभाग
20	सेक्टर 2-बुनियादी / आधारभूत सरचना एवं पर्यावरण	सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	150 घरों के छतों पर सौर ऊर्जा के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था (छत का क्षेत्र 1800 वर्गमीटर)	प्राइमरी स्कूल, ककोर बाबा, सुन्दर लाल, सामुदायिक शौचालय के अतिरिक्त 150 लाभार्थी आवास	16 लाख रूपए	03 माह	15वां वित्त आयोग
21	सेक्टर 3-आजीविका, कृषि, पशुपालन	नर्सरी का निर्माण	पंचायत भवन, बाजार के पास, ट्रांसफार्मर के पास 5 समूह के माध्यम से पाली हाउस/नेटहाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	पंचायत की जमीन पर नर्सरी निर्माण	02 लाख रूपए	06 माह	मनरेगा
22	पशुपालन	स्थाई पशु आश्रय स्थल	व्यक्तिगत स्तर पर 6-7 पशु की क्षमता वाले (पशु आश्रयस्थल) का निर्माण 25	अहमदपुर एवं पनापुर	50 लाख रूपए	06 माह	15वां वित्त आयोग

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी अध्ययन

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत पनापुर कलां की आगामी वित्तीय वर्ष हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत की समग्र जनों की सहभागिता के सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्री गुड्डू राठौर द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2023 को पूरे ग्राम सभा में डुग्गी / व्यक्ति जन संपर्क द्वारा दिनांक 15.02.2023 को पंचायत भवन पनापुर में खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक



ग्राम पनापुर कलां



ग्राम अहमदपुर

ग्राम पंचायत पनापुर कलां के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आगनवाड़ी कार्यकर्त्री आशा ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी तीन मजदूरों से कुल 105 लोगो (पुरुष-42, महिला-38 एवं बच्चे 25) भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री गुड्डू राठौर ने किया। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम पंचायत मित्र श्री बबलू जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्रामपंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में सतत् प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहे हैं। उनमें से उन्नाव जनपद भी सम्मिलित है। उन्नाव का पनापुर कलां ग्राम पंचायत को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है। पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनी हैं। परन्तु इस तीन-चार दिनों में जलवायु गत / मौसम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए।

ट्रॉजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)



ग्राम अहमदपुर

ग्राम पनापुर कलां

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्रामप्रधान, पंचायत सचिव 12 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने ग्राम पंचायत के दोनों गाँवों में ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर पनापुर उसके पश्चात् अहमदपुर, तीन तालाब एवं गांव में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई। पनापुर से अहमदपुर लगभग 2.5 किमी है।

सामाजिक मानचित्रण:-

दोनों गाँवों के भ्रमण के उपरांत अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र पनापुर कलां व सामुदायिक भवन अहमदपुर में स्थित खेलकूल मैदान परिसर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में अलग अलग सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
-------	--------	----------------

ग्राम पंचायत चौहददी का क्षेत्रफल	279.430 हेक्ट0	दोनां गाँवों की बसाहट, बाग बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
गाँव संख्या	2	पनापुर कलां, अहमदपुर
कुल घरों की संख्या	596	
कुल पक्के घरों की संख्या	437	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान हैं।
कुल कच्चे घरों की संख्या	159	
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	327	पनापुर कलां 190, अहमदपुर 137
विकलांग जनों की संख्या	14	03 महिला, 11 पुरुष,
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	35	दोनां गाँवों में
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	27	पनापुर कलां 15, अहमदपुर 12

ग्राम पंचायत पनापुर कलां, अहमदपुर रसूलाबाद से 45 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। इस ग्राम पंचायत से भदनी नदी लगभग 12 किमी की दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा से गुजरती है। इस ग्राम पंचायत में दो बसाहट है पनापुर कलां व अहमदपुर। यहां तेली, पासी, चमार, बढई, नाई, धोबी, धानुक, मुस्लिम, ठाकुर आदि जातियां है।

कुल 596 परिवार में 135 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है। ग्राम पंचायत में 15 परिवार भूमिहीन है। अहमदपुर में कुछ निचली भूमि है जिसमें मकान बने हुए हैं, जिससे यहां पानी की निकासी की समस्या होती है। सीपेज के कारण पक्के मकान भी खराब हो गये है। 14 विकलांग जनों में 3 महिला एवं 11 पुरुष है। कुछ आंशिक रूप से विकलांग है। सरकारी योजना का लाभ लगभग 310 परिवारों को मिल रहा है। यहाँ 95 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते है जबकि 70 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। 33 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है।



जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	07
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	147
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	442
कुल घरों की संख्या	596

वातावरण निर्माण



ग्राम पंचायत पनापुर कलां की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु **क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना** के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्री गुड्डू राठौर द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को पूरे ग्राम सभा में डुग्गी द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 15.02.2023 को अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

ग्राम पंचायत पनापुर कलां ग्राम पंचायत समितियों का विवरण

क्रमांक	ग्राम पंचायत सदस्य का नाम
1	गुड्डू राठौर प्रधान
2	पृथ्वीपाल सदस्य
3	सोहन लाल सदस्य
4	लीलावती सदस्य
5	अनीता देवी सदस्य
6	कृष्ण पाल सदस्य
7	विश्राम सदस्य
8	समीम अली सदस्य
9	दिवाकर सदस्य
10	उर्मिला देवी सदस्य
11	दिव्या वर्मा सदस्य
12	अन्शू वर्मा सदस्य

समितियों का विवरण

क्र.	समितियों के नाम	सदस्यों के नाम	पद	क्र.	समितियों के नाम	सदस्यों के नाम	पद
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति				जैव विविधता, प्रबन्धन नियोजन एवं विकास समिति			
1		श्री विश्राम	अध्यक्ष	1		श्री गुड्डू राठौर	अध्यक्ष
2		श्रीमती अनीता देवी	सदस्य	2		श्री सोहन लाल	सदस्य
3		श्रीमती उर्मिला देवी	सदस्य	3		श्रीमती दिव्या वर्मा	सदस्य
4		श्रीमती लीलावती	सदस्य	4		श्री समीम अली	सदस्य
5		श्री केसनपाल	सदस्य	5		श्री केसनपाल	सदस्य
6		श्री पृथ्वीपाल	सदस्य	6		श्रीमती लीलावती	सदस्य
7		श्री सोहन लाल	सदस्य	7		श्री पृथ्वी लाल	सदस्य
प्रशासनिक समिति				शिक्षा समिति			
1		श्री गुड्डू राठौर	प्रधान अध्यक्ष	1		श्री गुड्डू राठौर	अध्यक्ष
2		श्रीमती दिव्या वर्मा	सदस्य	2		श्रीमती अनीता देवी	सदस्य
3		श्री समीम अली	सदस्य	3		श्री दिवाकर	सदस्य
4		श्रीमती उर्मिला देवी	सदस्य	4		श्री समीम अली	सदस्य
5		श्री पृथ्वी पाल	सदस्य	5		श्रीमती उर्मिला देवी	सदस्य
6		श्री सोहन लाल	सदस्य	6		श्री विश्राम	सदस्य
7		श्री विश्राम	सदस्य	7		श्रीमती दिव्या वर्मा	सदस्य
जल प्रबन्धन समिति				8		श्री सोहन लाल	सदस्य
1		श्रीमती दिव्या वर्मा	अध्यक्ष	9		श्रीमती लीलावती	सदस्य
2		श्रीमती उर्मिला देवी	सदस्य	निर्माण एवं कार्य समिति			
3		श्रीमती अनीता देवी	सदस्य	1		श्रीमती लीलावती	अध्यक्ष
4		श्रीमती लीलावती	सदस्य	2		श्री दिवाकर	सदस्य
5		श्री सोहन लाल	सदस्य	3		श्रीमती दिव्या वर्मा	सदस्य
6		श्री पृथ्वी लाल	सदस्य	4		श्री समीम अली	सदस्य
7		श्री विश्राम	सदस्य	5		श्री पृथ्वी लाल	सदस्य
				6		श्री केशन लाल	सदस्य
				7		श्री सोहन लाल	सदस्य

भौतिक संसाधनों का विवरण:-



प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर



रूफ वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट



सामुदायिक शौचालय ग्राम पनापुर कलां



बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)



समग्र ग्राम पंचायत के जलवायु गत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्रामप्रधान गुड्डू राठौर, पंचायत सचिव 14 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं समुदाय के सभी लोगों ने ग्राम पंचायत के दोनों गाँवों पनापुर कलां व अहमदपुर का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह बॉक शुरूकर छोटीपुरवा उसके पश्चात् बड़ी पुरवा एवं मझली पुरवा के साथ तीन तालाब एवं गाँव में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई छोटी पुरवा से बड़ी पुरखा लगभग 1 किमी है। वही पुरवा से मझला पुरवा लगभग आधा किमी की दूरी पर उपस्थित है।

ट्रॉजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ


बसाहट	पनापुर कलां/अहमदपुर गाँव के शुरूआत में बायें दिशा में छोटी बस्ती है, जिसमें 18 घर हैं। सभी पक्के मकान हैं, जानवरों एवं भूसा आदि रखने हेतु लोगों ने कच्चे कमरे भी बनाए हुए हैं। बीच में पनापुर है। जहाँ अत्यधिक बसाहट है, यहाँ पर भी अधिकांश मकान पक्के बने हैं, जिनमें लगभग 12-15 मकान जीर्णोद्धार अवस्था में भी हैं। जिनकी दीवारें चिटकी हुई हैं। यहाँ टीनशेड, फूस पक्की दीवार के साथ छप्पर के मकान हैं। इस बाद गाँव के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में कुछ पक्के मकान के साथ टीनसेड के मकान हैं। गाँव में हैण्डपम्प से लोग विभिन्न कार्यों हेतु पानी निकाल रहे थे। एक कुआँ कुछ सही स्थिति में है, परन्तु सफाई योग्य है। 6 कुआँ निष्प्रयोज्य है। गाँव में जल निकासी के लिये सही व्यवस्था नहीं है गाँव की गलियाँ बहुत सकरी हैं और नालियाँ कूड़े से अटी हुयी हैं। यहाँ पशुपालन भी होता है जिससे जल निकास व निकास बाधित होता है। गाँव में कई गृहवाटिकाओं में पालक, लहसुन, मूली, टमाटर, बैंगन, मिर्चा, धनिया भी दिखा। कुछ छुट्टा पशु विचरण कर रहे थे। इसके अलावा गाय बकरी, आदि पशु भी हैं। मैस बहुतायत में है।
ताल तलैया	07 तालाब (3बड़े, 4 छोटे) एक तालाब लाला तालाब है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.50 हे० एयर है। एक तालाब सामुदायिक भवन के पास स्थित है। जिस पर अमृत सरोवर (बेहला तालाब) पर कार्य चल रहा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ है। एक तालाब अहमदपुर के आसपास दक्षिण दिशा में 26.100 हैक्टर के क्षेत्रफल में फैला है। इस पर कई लोगों का अतिक्रमण है। पानी सूखने पर नवनी, बड़ी गड़िया, राम मिलन के खेत तरफ, रामनाराण के खेत की तरफ लोग खेती करते हैं।
नाला	ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में एक नाला पश्चिम से पूरब ओर दिशा की ओर निकलता है। इसमें पानी की कम मात्रा है, तथा सफाई कराने की आवश्यकता है।
हरित क्षेत्र बाग-बगीचा	पनापुर/अहमदपुर के पास एक बाग में लगभग 850 आम के पेड़ हैं। इसके अतिरिक्त यूकेलिप्टस अमरूद भी हैं। वृक्षारोपण किया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ है।
भौतिक संसाधन	बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन निर्मित है। जहाँ हैण्डपाइप समसिंबल पाइप उपलब्ध है। इसके साथ ही 27 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पेयजल हेतु गाँव में उपलब्ध है। निजी हैण्डपम्प व समसिंबल 25 लगाए गये हैं। एक प्राथमिक विद्यालय है। जिसमें तीन कमरे, शौचालय, एवं बरामदा है। आंगनवाड़ी केन्द्र भी यहीं से संचालित है, जहाँ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित है। एक कम्पोजिट विद्यालय पनापुर कलां में व एक प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर में है। खेलकूद मैदान भी बना है। बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन गाँव से दूर सफीपुर मियांगंज रोड पर स्थित है। जो काफी सुन्दर है। जहाँ सोलर लाइट पैनल सिस्टम व रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है।







आजीविका के साधन



सरकारी नौकरी	12
छोटे उद्योग धन्धे	5
कृषि आधारित	250
कला एवं शिल्पकार	35
पशुपालन	515
लोकल दुकान	7
गैर कृषि मजदूरी	85
अन्य	5

आपदाओं का ऐतिहासिक समय—रेखा एवं घटनाक्रम—

ग्राम पंचायत पनापुर कलां, अहमदपुर का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही हैं। इस काम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि जलजमाव एक ऐसी आपदा है, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही है। साथ ही प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। हाल के वर्षों में सूखा, लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा ही हो गयी है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। बच्चों का शैक्षणिक कार्य बन्द हो जाने से सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त बच्चें हुए। सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया है—

क्र.	वर्ष	आपदा/खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1979	सूखा	बारिश कम हुई, जल संचयन क्षेत्रों पर अतिक्रमण	—	300 लोग	62 हे० खेत	2000—2001में तालाबों व नालों की कुछ सफाई कराई गई थी
2	1980 18 मई	आँधी तूफान	वायूमण्डल में दबाव व पहाड़ों पर वर्षा	बाग में गए दो बच्चे	पूरा गाँव, आम, गेहूँ गिर गया, टूट गया	—06 बाग आम के, जिसमें लगभग रूपए 03लाख लगभग —45 एकड़ फसल गिर गयी, टूट गयी और बरबाद हो गयी 06 लाख	कोई कार्यवाही नहीं
3	1980 14 मार्च	ओलावृष्टि	मौसम की प्रतिकूलता हिमालय पर व चक्रवाती परिस्थितियाँ	—	पूरा गाँव	—06 बाग आम लगभग रु.02लाख —60 एकड़ कृषि टूट गयी, बरबाद हो गयीरु.05लाख	कोई कार्यवाही नहीं
4	1982 सितम्बर आखिरी सप्ताह	कन्जुवाइटिस (आखों में संक्रमण)	वायु संक्रमण, मौसम परिवर्तन	—	लगभग 40 प्रतिशत आबादी	मजदूरों, कामगारों की आजीविका संकटलगभग रु. 01लाख	स्थानीय स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था
5	2006 25जुलाई से05अगस्त	बाढ़	नदियों के जल की वापिसी नालों, खेतों में	—	60प्रतिशत कृषि भूमि अहमदपुर	समय से फसल की बुआई नहीं हुई, लगभग रु.50 लाख	नालों की आंशिक सफाई बाद में कराई गई व आंशिक अनुदान



6	2018 अगस्त	सूखा	बारिश का न होना	—	लगभग 70परिवार	200एकड़ कृषि क्षेत्र, लगभग रु.20 लाख	धान की फसल में ज्यादा सिंचाई करनी पड़ी
7	2020-21	कोरोना का प्रकोप	दिल्ली मुम्बई सूरत से लोगों का प्रवास स्वच्छता सफाई एवं संक्रमण	2	70-80 लोग	रोजगार व शैक्षिक कार्य बाधित	स्थानीय जड़ी बूटियों एवं औषधियों से बचाव, जागरूकता साफ सफाई एवं टीकाकरण
8	2020-21	जलजमाव निरंतर	जल निकासी का अभाव, पोखरो, नालों पर अतिक्रमण	—	36 परिवार	18 हे०	पानी सिमट जाने पर एक फसल रबी की हो जाती है

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्र.	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है?
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	40	जल जमाव		प्रभावित		फसलों की बुआई, जुताई नहीं हो पाई
2	मजदूरी	65	जल जमाव		प्रभावित		आवागमन प्रभावित रहा
			सूखा		प्रभावित		आवागमन के साथ साथ शारीरिक क्षमता हास
			शीतलहर		प्रभावित		बीमारियों व शारीरिक क्षमता हास
3	पशुपालन (गाय, बकरी पालन, मुर्गीपालन, आदि)	60भैस 80 बकरी	जल जमाव		प्रभावित		चारे व रखरखाव का कुप्रबन्धन
			शीतलहर				बकरियों का बीमार हो जाना
4	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)		जल जमाव			प्रभावित प्रभावित प्रभावित	सामान लाने में असुविधा होती है। सामान मंहगा हो जाता है। कच्चा माल खराब हो जाता है। जल जमाव के कारण माल के रखरखव में समस्या होती है।
						प्रभावित	व्यवसाय मंद पड़ जाता है।

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹⁶ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹⁷ = ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹⁸ = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹⁹</p>	

96 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

97 लागत बाजार भाव के अनुसार

98 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

99 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधो का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। <p>अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</p>	1 मी. मेड़बंदी के लिए ¹⁰⁰ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ¹⁰¹ = ₹ 90,000	

100 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

101 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत¹⁰²: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100</p>	

102 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: 1500 वर्ग फुट के भूखंड के ऊपर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना+ तिरिक्त पुनर्भरण गड्ढे + सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत¹⁰³ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत = ₹35,000</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹⁰⁴: 1. तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3,75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	

103 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

104 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	
4	अपशिष्ट जल प्रबंधन	चरण 1: विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DEWATS) की स्थापना	DEWATS के लिए: 2,973 जनसंख्या वाली जीपी के लिए जल आपूर्ति की मात्रा 120 लीटर/व्यक्ति/दिन, उत्पन्न अपशिष्ट जल आपूर्ति का 80% है, इसलिए उत्पन्न कुल अपशिष्ट जल 2,97,300 लीटर/दिन या ~297 केएलडी है। इसलिए, भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, DEWATS की अनुमानित क्षमता = 300 KLD (मौजूदा उत्पन्न अपशिष्ट जल का 20%) 1 कलड क्षमता वाले DEWATS की लागत ₹30,000 है इसलिए 300 केएलडी के लिए 300 KLD क्षमता का 1 DEWAT: लगभग ₹90 लाख	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰⁵ : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

105 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या¹⁰⁶ =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना।</p>	

¹⁰⁶ लागत बाज़ार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁷ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा बैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰⁸ = ₹ 15,000	
2	बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	चरण 1: a. घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना b. विकलांग समुदाय के सदस्यों के लिए शौचालय चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	a. दो गड्डे वाले शौचालय ¹⁰⁹ b. विकलांग समुदाय के सदस्यों के लिए शौचालय :₹1,00,000 ¹¹⁰	
3	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न ¹¹¹ की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

107 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

108 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

109 https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf = ₹15,000 to ₹20,000

110 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

111 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2 और 3 a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹¹² : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹ 35,00,000	
4	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

112 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

1.	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>कुल सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित = 50 वर्ग मीटर = 5 kW I</p> <p>1 kWp ग्रिड जुड़े हुए छत के सोलर रूफटॉप को स्थापित करने के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है¹³</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*</p> <p>0.82/ 1000 =</p> <p>___ टन CO₂</p>
----	----------	---	--	--

113 <https://upneda.org.in/faqs.aspx>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3: परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹¹⁴ = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	एग्रो-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹¹⁵ = ₹ 1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

114 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

115 लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365 प्रति पंप लागत ¹¹⁶ = ₹3 से 5 लाख	डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO ₂ e)
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता	1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000 2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000 1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000 ¹¹⁷	

116 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

117 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹¹⁸</p>	
6	सौर स्ट्रीट लाइट	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹¹⁹</p>	

118 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

119 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत ¹²⁰ : ₹8-15 लाख प्रति यूनिट	
---	---	--------------------------	--	--

¹²⁰ बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियाँ और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

NOTES



